खण्ड–28, अंक–02
मंगलवार, 18 फाल्गुन, शक संवत्, 1931
(09 मार्च, 2010 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2010)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 28 में 10 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुडकी, उत्तराखण्ड (भारत)
2012

विषय–सूची

विषय	संख्या पृष्ठ
उपस्थिति	'क'
प्रश्नोत्तर	1–50
भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2008–09 के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में उत्तर प्रदेश की सूचना शामिल किये जाने तथा उत्तराखण्ड लिखे जाने के सम्बन्ध में उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न	50–53
नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	53
जनपद हरिद्वार के अनुसूचित जाति बाहुल्य गाँव छांगा माजरी वहाबपुर एवं नागल पलूनी सम्पर्क मार्ग के लिए एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत अवस्थापना मद से सड़क के निर्माण हेतु स्वीकृत रु0 1.54 करोड़ के सापेक्ष लगभग रु0 4.00 करोड़ स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	53–54
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2008–09 के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में उत्तर प्रदेश की सूचना शामिल किये जाने तथा उत्तरांचल लिखे जाने के सम्बन्ध में उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय (क्रमागत) ...	54–59
उत्तराखण्ड विधान सभा के तृतीय सत्र वर्ष 2009 में प्राप्त नियम–300 की सूचनाओं पर सरकार द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	59
उत्तराखण्ड विनियोग (2009–2010 का अनुपूरक) विधेयक, 2009 (अधिनियमित होने की घोषणा)	59
देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2009 (अधिनियमित होने की घोषणा)	60
हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 (अधिनियमित होने की घोषणा) ...	60
पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2009 (अधिनियमित होने की घोषणा)	60
इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 (अधिनियमित होने की घोषणा)	60
पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 (अधिनियमित होने की घोषणा)	61

विषय	संख्या पृष्ठ
उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973) (संशोधन) विधेयक, 2009 (अधिनियमित होने की घोषणा) ...	61
उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965) (संशोधन) विधेयक, 2009 (अधिनियमित होने की घोषणा) ...	61
उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) (संशोधन) विधेयक, 2009 (अधिनियमित होने की घोषणा) ...	61
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 (अधिनियमित होने की घोषणा)	62
उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009 (अधिनियमित होने की घोषणा)	62
उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 2009 (अधिनियमित होने की घोषणा)	62
उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2009 (अधिनियमित होने की घोषणा)	62
उत्तराखण्ड राजभाषा विधेयक, 2009 (अधिनियमित होने की घोषणा)...	62
उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971] (संशोधन) विधेयक, 2009 (अधिनियमित होने की घोषणा)	63
उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2009 (अधिनियमित होने की घोषणा)	63
उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते)] (संशोधन) विधेयक, 2009 (अधिनियमित होने की घोषणा)	63
उत्तराखण्ड आबकारी नीति वर्ष 2010–11 (सदन के पटल पर रखा गया)	63–64
उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2010 (पुरःस्थापित)	64
उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2010 (पुरःस्थापित)	64–65
नियम–310 के अन्तर्गत विभिन्न विषयों पर चर्चा कराये जाने की मांग	65
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	66–70
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	71
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं	71
नत्थियां	72–91

उपस्थिति

1–श्री अजय टम्टा
2–श्री अरविन्द पाण्डे
3–श्री अनिल नौटियाल
4–श्रीमती अमृता रावत
5–श्रीमती आशा
6–श्री ओम गोपाल
7–श्री करन मेहरा
8–सुश्री कैरन मेयर
9–श्री किशोर उपाध्याय
10–श्री केदार सिंह रावत
11–श्री केदार सिंह फोनिया
12–श्री खजान दास
13–श्री खड़क सिंह बोहरा
14–श्री गगन सिंह
15–श्री गणेश जोशी
16–श्री गोपाल सिंह
17–श्री गोपाल सिंह रावत
18–श्री गोविन्द लाल
19–श्री गोविन्द सिंह कुँजवाल
20–श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
21–श्री चन्दन राम दास
22–श्री जोगा राम टम्टा
23–श्री जोत सिंह गुनसोला
24–हाजी तस्लीम अहमद
25–श्री तिलक राज बेहड़
26–श्री दिनेश अग्रवाल
27–श्री दिवाकर भट्ट
28–श्री दिवान सिंह
29–श्री नारायण पाल
30–श्री पुष्पेश त्रिपाठी
31–श्री प्रकाश पन्त
32–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
33–श्री प्रीतम सिंह
34–श्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल
35–श्री प्रेमानन्द महाजन
36–श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
37–श्री बलवीर सिंह नेगी
38–श्री बिशन सिंह चुफाल
39–श्री बंशीधर भगत
40–श्री बृजमोहन कोटवाल
41–श्री शेर सिंह
42–मे0ज0(अ0प्रा0)भुवन चन्द्र खण्डूड़ी ए0वी0एस0एम0
43–श्री मदन कौशिक
44–श्री मनोज तिवारी
45–श्री मयूख सिंह
46–श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ भाई"
47–श्री मातबर सिंह कण्डारी
48–श्री कुलदीप कुमार
49–श्री यशपाल बेनाम
50–चौ0 यशवीर सिंह
51–श्री रणजीत रावत
52–डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"
53–श्री राजकुमार
54–श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
55–श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा
56–श्रीमती विजय बड़थ्वाल
57–श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
58–श्रीमती वीना महराना
59–श्री शहजाद
60–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
61–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
62–श्री सुरेन्द्र राकेश
63–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
64–श्री सुरेश चन्द जैन
65–डा0 हरक सिंह रावत
66–श्री हरभजन सिंह चीमा
67–श्री हरिदास
68–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

मंगलवार, दिनांक 9 मार्च, 2010 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर की सभापतित्व में आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री शहजाद –

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में बहुत गम्भीर स्थिति है भ्रष्टाचार के मामले में। मैंने इसकी सूचना दी है। इस प्रकरण पर नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष पर भी उँगलियाँ उठ रही है रोज समाचार पत्रों में। इस मसले पर चर्चा करायी जानी आवश्यक है। (बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने लगे।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

श्री शहजाद जी, कृपया आसन ग्रहण करें। यह सदन की परम्परा भी रही है और यह परम्परा भी आप लोगों की सहमति के द्वारा है कि प्रश्नकाल के बाद ही इस पर विचार किया जायेगा। प्रश्नकाल आप लोगों का है। इसलिए प्रश्नकाल के बाद हम इस पर विचार कर लेंगे।

प्रश्नोत्तर

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–40(2)के अन्तर्गत स्थगित तारांकित प्रश्न

वित्तीय वर्ष 2007–08 व 2008–09 में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के तहत प्रदेश में स्वीकृत धनराशि तथा व्यय

*1–श्री नारायण पाल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2007–08 व 2008–09 में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के तहत प्रदेश को कुल कितनी धनराशि थी और इसमें से कितनी धनराशि खर्च हुई?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि स्वीकृत पूर्ण राशि का उपयोग नहीं किया जा सका है?

यदि नहीं, तो क्यों?

क्या मा0 मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2007 से 2009 तक इस योजना के तहत जनपद ऊधमसिंहनगर के सितारगंज, शक्तिगढ़ व नानकमत्ता क्षेत्रों के किन–किन गॉवों में कुल कितनी धनराशि के कार्य किए गये?

यदि नहीं,तो क्यों?

समाज कल्याण एवं सिचांई मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

प्रदेश हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 एवं वर्ष 2008–09 हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का वर्षवार विवरण निम्नवत है:

(धनराशि रू0 लाख में)

वित्तीय वर्ष का नाम	स्वीकृत धनराशि	व्यय धनराशि
वर्ष 2007–08	42165.17	35019.29
वर्ष 2008–09	35748.90	30066.97

जी हाँ।

विभिन्न प्रकार की स्थानीय समस्याओं के कारण आवंटित धनराशि का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है।

ऊधमसिंहनगर के सितारगंज, शक्तिगढ़ व नानकमत्ता क्षेत्रों में अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण संलग्न है। †

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने यह जो सवाल पूछा था इत्तेफाक से यह मैंने काफी पहले पूछा था वरना वर्तमान परिवेश में 2009–10 का भी उल्लेख करता। लेकिन आपकी कृपादृष्टि से यह सवाल लगा है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में, मैं यह जानना चाहता हूँ कि वर्ष 2007–08 में सिंचाई विभाग ने हमारे क्षेत्र सितारगंज में 1 करोड़ 41 लाख का काम किया और 2008–09 में स्वास्थ्य विभाग ने सम्भवतः 47 लाख रू0 का काम किया और लोक निर्माण विभाग ने 45 लाख रू0 का काम किया। इस सम्बन्ध मे मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ स्पेशल कम्पोनेंट का यह पैसा समाज कल्याण विभाग के तत्वाधान में खर्च हुआ जब इन्होंने अलग–अलग विभागों को पैसा दिया लेकिन इसके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जब मैंने समाज कल्याण अधिकारी से पूछता हूँ कि इन योजनाओं के लिए विभागवार पैसा वितरित किया गया? यह तो चार का उल्लेख किया लेकिन और लम्बी लिस्ट है, तो उन्होंने बताया कि पैसा तो निर्गत कर दिया गया है लेकिन वे बताने की स्थिति में नहीं रहे कि उन कार्यों का सम्पादन और क्रियान्वयन हो चुका है या नहीं?

† (देखिए नत्थी "क" का संलग्नक आगे पृष्ठ संख्या 72–73 पर)

श्री अध्यक्ष–

यह कोई चर्चा नहीं हो रही है कृपया स्पेसिफिक प्रश्न करें।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि जो पैसा समाज कल्याण विभाग द्वारा दिया गया इस सम्बन्ध में विभाग को जानकारी तक नहीं है काम हो गया या नहीं। मैं माननीय मंत्री जी से यही पूछना चाहता हूँ कि पैसा देने के बाद उसके सम्पादन और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी समाज कल्याण विभाग की है या नहीं है काम हुआ या नहीं हुआ। उस पैसे का क्या हुआ उसका क्रियान्वयन समय पर नहीं किया गया। यह समाज कल्याण विभाग की और सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मान्यवर, काम हुआ है या नहीं यह मेरी जानकारी में नहीं है, अधिकारियों की जानकारी में नहीं है। मान्यवर, मैं यह आरोप लगा रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया प्रश्न करें, आरोप न लगायें।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि अगर समाज कल्याण से काम भी कराया है तो विभागों ने काम करने के बाद क्या समाज कल्याण विभाग का कोई ब्यौरा दिया, अगर ब्यौरा दिया है तो मुझे बता दें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नारायण पाल जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, समाज कल्याण विभाग द्वारा अवस्थापना मद में जो विकास खण्ड सितारगंज में है उसमें 86 लाख 33 हजार का अवस्थापना का कार्य किया और यह काम हो भी गया है, इसमें संलग्न सूची आपके पास है। जहाँ तक चिकित्सा विभाग का है तो वर्ष 2007–08 में 132 लाख का काम किया। सिंचाई विभाग में वर्ष 2007–08 में 4.50 लाख का काम किया गया, इसी प्रकार से ग्राम्य विकास में इंदिरा आवास में 38 हजार का काम हुआ वर्ष 2008–09 में और दीन दयाल आवास योजना के अन्तर्गत 22.55 लाख का काम हुआ। डेयरी विकास में वर्ष 2007–08 में 83 हजार का काम हुआ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी,यह सूचना आप उपलब्ध करा सकते हैं, जो माननीय सदस्य जी ने स्पेसिफिक प्रश्न किया है कि जो विभाग काम कराता है क्या वह समाज कल्याण विभाग को ब्यौरा भेजता है, डिटेल भेजता है?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, समाज कल्याण विभाग एक नोडल विभाग है और मात्रांकित करते हुये अर्थात 18 प्रतिशत अनुसूचित जाति का बजट सम्बन्धित विभाग को दिया जाता है और विभाग को दिया है और वही विभाग इस काम को देखते हैं और करते हैं।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी,माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि "विभिन्न प्रकार की स्थानीय समस्याओं के कारण आवंटित धनराशि का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है।" तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में कुल कितनी योजनाओं के लिए धन आवंटित किया गया और ऐसी कितनी योजनायें हैं जिसमें समस्या उत्पन्न होने के कारण धन व्यय नहीं हो पाया।

श्री मातबर सिंह कण्डारी –

मान्यवर, समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2007–08 में 98 योजनाओं के लिए धन आवंटित हुआ और उसमें समाज कल्याण विभाग द्वारा 86 लाख 33 हजार का पैसा खर्च किया गया। मान्यवर, आपने यह कहा कि विभिन्न कारण क्या हैं तो मेरा कहना है कि कभी वन भूमि का प्रकरण होता है जिसके कारण वन भूमि सड़क का निर्माण पी0डब्ल्यू0डी0 करा सकते है, कभी अनुसूचित जाति आई0टी0आई0 संस्थान में पैसा दिया जाता है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं कारण नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि इससे बहुत विस्तृत हो जायेगा, मैंने यह प्रश्न पूछा है कि कितनी योजनायें हैं जिनके लिए आपने धन आवंटित प्रदेश के अन्दर किया और जिसमें स्थानीय समस्या के कारण व्यय नहीं हो पाया, कुल योजनाओं की संख्या बता दें, मैं संख्या पूछ रहा हूँ। बहुत आसान सा प्रश्न है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, यह तो विभिन्न विभागों का विषय है, 36 विभाग हैं। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जो पैसा आपने दिया है, आपने अपने उत्तर में यह बात कही है, मैंने कोई उत्तर से बाहर का प्रश्न नहीं पूछा है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी द्वारा अपने उत्तर में कहा गया है कि विभिन्न प्रकार की स्थानीय समस्याओं के कारण आवंटित धनराशि का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ऐसी कितनी योजनाएं हैं, जिसमें स्थानीय समस्याओं के कारण उपभोग नहीं हो पाया है? मैं संख्या पूछ रहा हूँ।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो सम्बन्धित विभाग ही बता पायेगा कि कौन–कौन सी योजनाएं हैं और किन– किन योजनाओं का उपभोग नहीं हो पा रहा है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी द्वारा बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया जा रहा है। जब किसी विभाग को पैसा दिया जायेगा तो समाज कल्याण विभाग के पास इसकी रिपोर्ट होगी कि कौन सा कार्य पूर्ण हुआ है और कौन सा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर–व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सरकार द्वारा बहुत उपेक्षा की जा रही है। मान्यवर, पैसे का पूरा परिव्यय नहीं हो पा रहा है। समाज कल्याण विभाग को यही पता नहीं है कि जो पैसा दिया जा रहा है, वह पैसा कहाँ चला गया है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करे।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, योजनाएं तो सम्बन्धित विभाग के पास होंगी। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, नोडल विभाग तो समाज कल्याण ही है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह

माननीय मंत्री जी, धन का आवंटन तो समाज कल्याण विभाग ने ही किया है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे देश के अन्दर उत्तराखण्ड सरकार की थू–थू हो रही है। केन्द्रीय योजना आयोग को हस्तक्षेप करना पड़ा। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा, जब तक माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं चले जाते हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय श्री नारायण पाल, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री शहजाद एवं श्री हरिदास अपनी–अपनी बात कहते हुए "वेल" में गये।)

श्री अध्यक्ष–

जब तक माननीय सदस्य अपनी–अपनी सीट पर नहीं चले जाते है, तब तक किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी–अपनी सीट पर चले जायं।

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य श्री नारायण पाल, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री शहजाद एवं श्री हरिदास अपनी–अपनी सीट पर गये)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री जी, उत्तर दे रहे हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय। जिस तरह से समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है, उससे केन्द्रीय सरकार भी प्रदेश सरकार के कार्यों से सन्तुष्ट नहीं है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री जी बता रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि समाज कल्याण विभाग एक नोडल एजेंसी है और नोडल एजेंसी के अन्तर्गत कितनी धनराशि हमने 'आउट ले' के तहत निर्धारित की और कितना हमने बजटरी प्रोविजन किया और बजटरी प्रोविजन के तहत हमने कितना व्यय किया। यह जानकारी माननीय मंत्री जी ने दे दी है (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया पहले पूरी बात आने तो दीजिए।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जिन विषयों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने इच्छा जाहिर की थी कि जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज, शक्तिगढ़ व नानकमत्ता क्षेत्र में कुल

कितनी धनराशि व्यय की गयी तो वह जानकारी माननीय मंत्री जी द्वारा स्पष्ट रूप से दे दी गयी है। चूंकि समाज कल्याण विभाग एक नोडल विभाग है और इसके तहत जो आउट ले प्रोविजन और उसके एक्सपेंडिचर को निर्धारित करने की व्यवस्था है। प्रत्येक विभाग की जानकारी माननीय मंत्री जी कैसे दे देंगे।(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर–व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष(डा0 हरक सिंह रावत)

माननीय अध्यक्ष जी, हर विभाग की फाईल आपके पास होगी। चाहे वह कोई भी विभाग हो। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, 'आउट ले' की जानकारी दी जा सकती है, लेकिन एक्सपेंडिचर की जानकारी नहीं दी जा सकती है। प्रत्येक विभाग की जानकारी कैसे दी जा सकती है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, हमें भी कृपया बोलने का मौका दीजिए। यदि आप हमें संरक्षण नहीं देंगे तो कौन हमें संरक्षण देगा। मान्यवर, हमें आपका संरक्षण चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहे। हमने आपको बोलने का मौका दे दिया है। आपका प्रश्न बहुत ही विस्तृत है, और कई विभागों से सम्बन्धित है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नारायण पाल जी, आपका प्रश्न बहुत विस्तृत है और विभिन्न विभागों से सम्बन्धित है। अगर आपको विस्तार से कोई सूचना चाहिए तो वह मिल जायेगी। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। हमें आपका संरक्षण चाहिए। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य को विभाग वार अलग से सूचना दे दें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है।

(सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, यह विस्तृत और कई विभागों से जुड़ा हुआ प्रश्न है तो यह बहुत गम्भीर मामला है, इस पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती? (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर कहाँ दिया है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, सत्ता पक्ष की ओर से माननीय मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया फिर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी उत्तर दिया। लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, विभागवार जानकारी चाहे तो दे देंगे। किन्तु योजनावार जानकारी कैसे दे देंगे ? (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे विभागवार चाहिए न योजनावार चाहिए। मैंने आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहा कि ऐसी कितनी योजनाएं हैं, जिनके लिए आपने धन आवंटित किया है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, सभी योजनाओं की जानकारी कैसे दे पायंगे? (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, पूरे प्रदेश के परिपेक्ष्य में प्रश्न है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत कितनी योजनाएं स्वीकृत की, चाहे पी0डब्ल्यू0डी0 की हों, चाहे ऊर्जा विभाग की हों, जो योजनाएं स्वीकृत की, उनकी जानकारी दे दें। (व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में सितारगंज, शक्तिगढ़ व नानकमत्ता क्षेत्रों की बात की है। उसका उत्तर दे दिया है। यह 39 विभागों का बजट है। यह बताना सम्भव नहीं है कि किस विभाग में कौन–कौन सी योजनाएं किस साल स्वीकृत हुई हैं। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, यह पूरे प्रदेश के सम्बन्ध में है। (व्यवधान) माननीय संसदीय कार्य मंत्री भी जवाब देंगे, माननीय समाज कल्याण मंत्री जी भी जवाब देंगे लेकिन फिर भी पूरा जवाब नहीं देंगे, तो कैसे चलेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रीतम सिंह जी, कृपया स्थान ग्रहण करे। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री शहजाद–

मान्यवर, नियम–51 के अन्तर्गत इस पर चर्चा करा ली जाय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री गोपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा अनुरोध है कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, पी0डब्ल्यू0डी0 हो, चाहे ऊर्जा विभाग हो, किसी भी विभाग के स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान से सम्बन्धित जो मामले हैं, उनकी पत्रावली समाज कल्याण विभाग में ही जाती है। इनमें कितनी योजनाओं को आपने स्वीकृत किया है और उनमें कितना धन आवंटित किया है, इसकी जानकारी दे दें। (व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वेल" में आकर अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। उत्तर आ गया है। (व्यवधान) किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जाएगा जब तक सदन व्यवस्थित नहीं होता। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

माननीय सदस्यगण, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(माननीय सदस्यगण पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय शहजाद जी, आप इसको लिखित में दे दीजिये।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, अनुसूचित जाति और जनजाति केन्द्र सरकार से जारी एस0सी0पी0 योजना का धन विकास कार्यों में खर्च नहीं किया जा रहा है और माननीय मंत्री जी द्वारा सदन में जवाब नहीं दिया जा रहा है, सदन को गुमराह किया जा रहा है। इसलिये मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(तत्पश्चात् माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

("वेल" में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

जब तक माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं जाते, तक तक उनकी किसी भी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

("वेल" में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण कृपया स्थान ग्रहण करें। प्रश्न का उत्तर आ गया है, आप यदि इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो नियमों के अन्तर्गत विषय को दे दीजिये, चर्चा कराने की मांग करिये।

("वेल" में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, स्थान ग्रहण करिये।

("वेल" में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप लिखित में दे दीजिये।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं इस पर विस्तार से उत्तर दे चुका हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

("वेल" में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिये कि फरवरी में इससे बजट खर्च कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, आप स्वयं नियमों के ज्ञाता हैं, अगर आप इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो नियमों के अन्तर्गत इसे लिखित में दे दीजिये और उस पर चर्चा की मांग करिये।

("वेल" में खड़े बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर चले गये।)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में जल स्तर गिरने से उत्पन्न पेयजल संकट तथा निदान हेतु योजनाएँ

*1–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या आप पेयजल मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में जल स्तर गिरने के कारण पेयजल संकट उत्पन्न हो रहा है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त समस्या के निदान हेतु कोई ठोस कार्य योजना बनाये जाने पर विचार कर रहीं है?

यदि नहीं, तो क्यों?

पेयजल एवं श्रम मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

जी हाँ।

पेयजल योजनाओं हेतु प्रश्न प्रस्तावित स्रोतों के आस–पास वृक्षारोपण, चैक डैम, कन्टूर ट्रेंच, वर्षा जल संग्रहण टैंक, रिसावदार कुएँ एंव चाल–खाल आदि बनाकर स्रोत

संवर्द्धन के कार्य करवाये जा रहे हैं तथा स्वैप कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन/प्रस्तावित योजनाओं के प्राक्कलन में कैचमेन्ट ऐरिया प्रोटेक्शन से सम्बन्धित कार्य का प्राविधान किया जा रहा है। जिससे वर्षाजल को रोककर स्रोत संवर्द्धन हो सके। पेयजल स्रोतो के सरंक्षण एवं संवर्द्धन हो सके। पेयजल स्रोतो के संरक्षण एवं संवर्द्धन मिशन का गठन किया गया है तथा केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड एवं राज्य सरकार की सहायता से वर्षा जल के माध्यम से कृत्रिम रूप से रिचार्ज किये जाने हेतु जिला तकनीकी समन्वय समिति का गठन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी चाही थी कि प्रदेश में पेयजल का संकट उत्पन्न हो रहा है, तो उत्तर आया कि जी हाँ।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यगण सदन में अपने–अपने स्थान पर वापस आ गये।)

पूरे प्रदेश में पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। उसके उपाय के लिए ठोस कार्य योजना बनायी गयी है, जो उत्तर में दी गयी है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहता हूँ कि जो कार्य योजना उत्तर के माध्यम से मुझे अवगत कराया गया है, क्या इससे पेयजल संकट इस वित्तीय संकट इस वित्तीय वर्ष में दूर हो जायेगा?

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जो कार्य योजना बनायी गयी है श्रीमन्, ये दीर्घकालिक योजना है और जो योजना हमने इस पेयजल संकट से उबरने के लिए बनायी है श्रीमन्, इस योजना के तहत हम दो महत्वपूर्ण कार्यों में कार्य कर रहे हैं श्रीमन्, एक तो दीर्घ कालिक योजना और दूसरी तात्कालिक महत्व के कार्य। यहाँ मैं यह अवगत कराना आवश्यक समझूँगा श्रीमन्, जैसा कि मैंने माननीय सदस्य के उत्तर में कहा और सदस्य ने जानना चाहा कि जल स्तर गिरने के कारण पेयजल संकट नहीं है श्रीमन्,ये विगत दिनों जो विभिन्न माध्यमों से जानकारियाँ आयीं और ऐसी सभी पेयजल योजनाएं जिनमें जल स्राव की कमी हुई, ऐसे सभी पेयजल योजनाएं जो भूगर्भीय जल स्तर के कतिपय कारणों से घटने के कारण हुई और इन सभी पेयजल योजनाओं को दोबारा ठीक करना और उनके जल स्राव को मेन्टेन करने की दृष्टि से ये दो चरणों में हम कार्य कर रहे हैं, जिनकी जानकारी मैंने माननीय सदन में दी है और इसका उद्‌देश्य है कि हम दीर्घकालिक.....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, इसका उत्तर आ गया है। सदन का समय ज्यादा हो रहा है। (व्यवधान) मेरा प्रश्न है कि पेयजल संकट दूर करेंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

उत्तर तो आने दीजिए, पूरी बात तो आने दीजिए। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मुझे तो आपको देख करके (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी की पूरी बात आने तो दीजिए।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं जानकारी चाहता हूँ कि संकट दूर होगा या नहीं? (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, अगर आप यही सुनना चाहते हैं कि होगा, तो मैं होगा कह रहा हूँ। पेयजल संकट दूर होगा या नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि दूर होगा।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैंने यह जानकारी चाही कि ये पेयजल संकट दूर होगा या नहीं इसी वित्तीय वर्ष में दूर हो जायेगा?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, हम दो तरह की योजनाएं बना रहे हैं। एक दीर्घकालिक योजना और दूसरी तात्कालिक योजना और जो तत्कालिक योजना है उनके माध्यम से किया जायेगा। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, इस वित्तीय वर्ष में पेयजल संकट दूर कर देंगे माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि तात्कालिक और दीर्घकालिक दो योजनाएं बना रहे हैं और जो तात्कालिक स्तर की समस्या है, उसका तात्कालिक रूप से समाधान होगा और जो दीर्घकालिक है, उसका दीर्घकालिक समाधान होगा।

श्री मनोज तिवारी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि पेयजल के भीषण संकट को देखते हुए क्या सरकार, विशेषकर नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग योजना अनिवार्य रूप से लागू करने जा रही है कि नहीं, यदि हाँ तो कब तक ये योजना लागू कर दी जायेगी?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जो कार्यक्रम हमने किए हैं और उसके तहत जो मैंने बताया कि हम दीर्घकालीन रणनीति के तहत कार्य कर रहे हैं और इस दीर्घकालिक रणनीति का जो लक्ष्य है क्योंकि इस समय हमारे यहाँ जो ऐवरेज रेनफॉल है वो लगभग 1600 मिलीमीटर है। अगर हम इसका तीन प्रतिशत जल भी उपयोग कर लें तो हमारे भूगर्भीय जल स्तर में काफी हद तक सुधार आ सकता है और आने समय में संकट से बचा जा सकता है। अभी उतना अधिक संकट नहीं है, अगर ये भूगर्भीय जल स्तर घटा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमें संकट होगा श्रीमन् इसको देखते हुए हमारी सरकार ने एक चिंता व्यक्त की और इसके लिए हमने तीन तरह की समितियाँ निर्माण करने के पश्चात् एक नोडल एजेन्सी के तौर पर राज्य स्तरीय जल संवर्धन मिशन का गठन किया है। श्रीमन् इस मिशन के माननीय मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष हैं और इसी तरह से श्रीमन्, दूसरे चरण में जनपद स्तरीय जल संवर्धन समिति का जिलाधिकारी के माध्यम से उनकी स्थलीय आवश्यकता के अनुरूप गठन किया गया। मान्यवर, इसके साथ–साथ ब्लॉक स्तरीय जल संवर्धन समिति का भी गठन किया गया है, इस ब्लाक स्तरीय जल संवर्धन समिति में इससे सम्बन्धित जितने भी विभाग हैं ये तीनों, जो समितियाँ हैं वह अपने–अपने दृष्टिकोण से कार्य कर रही हैं, इसके तहत जो हमारे माध्यम से कार्य सम्पादित हुए जैसा कि आपने कहा कि हम क्या भूगर्भीय जल स्तर का उपयोग करने में समर्थ होंगे तो श्रीमन्,मैं कहना चाहूँगा कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है निधार्रित कम्पोनेंट बनाया है, तीन तरह का कार्य जो स्वैप परियोजना करती हैं, पेयजल उपलब्ध कराना उसके साथ–साथ पेयजल संवर्धन का कार्य और तीसरा ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम चलाना हैं कि सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र की जितनी भी योजनायें हैं उनके जो जल स्रोत हैं उनका संवर्धन पास होंगे उसमें अनिवार्य रूप से इसको समाहित कर दिया है कि प्रत्येक भवन प्लान में एक हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू होना चाहिए।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो अभी माननीय मंत्री जी ने जल संकट के समाधान के लिए उत्तर दिया तात्कालिक और दीर्घकालिक दो उपायों का, जो उन्होंने अपने उत्तर में प्रकाश डाला वह सारा दीर्घकालिक योजनाओं पर डाला। मेरा प्रश्न है कि तात्कालिक निदान के लिए जो इस समय गर्मी शुरू होने जा रही है जो जल अभाव के क्षेत्र हैं उनमें जो तात्कालिक अभाव होगा, न इस समय वर्षा

का जल इकट्ठा कर सकते हैं मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि तात्कालिक क्या-क्या उपाय होंगे?

श्री प्रकाश पन्त-

मान्यवर, तात्कालिक दृष्टिकोण से हमने जो कार्य योजना बनायी है। हमने ग्रामीण क्षेत्र के 606 गाँव, मुहल्ले और तोक चिन्हित किये हैं, जहाँ वास्तव में 2010 में संकट की स्थिति आ सकती है। 177 नगरीय मुहल्ले हैं जहाँ पेयजल संकट की स्थिति आ सकती है इस तरह से कुल 783 हमने आईडेन्टीफाई किये हैं, इनको हम इस गर्मी में पेयजल आपूर्ति से बचा के ले जायें ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं। इसमें हम विशेष तौर पर एक नये परीक्षण के तौर पर गुजर रहे हैं, जो ह्यूमिडिटी है उसको वाटर में कन्वर्ट करके उस मशीन को स्थगित करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर परीक्षण सफल हो गया तो हम उसको ऐसे स्थानों पर स्थापित करेंगे जहाँ कोई पेयजल का स्रोत नहीं हैं, कोई उपाय नहीं है कि पेयजल कहीं से मिल सकता है, ऐसे स्थानों पर हम उस मशीन को लगायेंगे। बाकी जो हमारी आईडेन्टीफाई 783 जगह हैं इनमें हम जल संवर्धन करेंगे।

श्री रणजीत रावत-

मान्यवर, अभी तक तात्कालिक उपाय, जैसे अभी तक परिपाटी रही है कि टैंकरो से पानी पहुँचाने की और जहाँ गाड़ी नहीं जाती है वहाँ खच्चरों से पानी पहुँचाने की क्या सरकार उस पर भी कार्यवाही करेगी?

श्री प्रकाश पन्त-

मान्यवर, जो तात्कालिक उपाय है पानी उपलब्ध कराना, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम कम से कम पीने का पानी प्रत्येक व्यक्ति को दें, हम इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे।

श्री प्रेमानन्द महाजन-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो वर्तमान में पेयजल का संकट है और गर्मी का मौसम आ रहा है, जो मैदानी क्षेत्रों में इन्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगता है वह सैकण्ड स्ट्रैटा में लगता है, आज की तारीख में भूजल का स्तर उससे भी नीचे चला आ रहा है और सैकन्ड स्ट्रैटा में भी पानी नहीं निकलता। क्या माननीय मंत्री जी इसको थर्ड स्ट्रैटा में गाड़ने पर विचार करेंगे।

श्री प्रकाश पन्त-

मान्यवर, जिन जगहों पर भूगर्भीय जल स्तर घट रहा है, ऐसे स्थलों का जल

संवर्धन का कार्य विशेष तौर पर सम्पादित हो रहा है, इसमें जो नरेगा के माध्यम से जल संवर्धन के कार्य विशेष तौर पर किये जायें यह प्राविधान है, जहाँ तक आपने स्पेसिफिक पूछा कि हैण्डपम्प का, जहाँ पर स्ट्रैटा नहीं मिल रहा है या जल स्तर नीचे जा चुका है तो ऐसे स्थानों का परीक्षण किया जायेगा।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने स्वीकार किया कि प्रदेश में जल स्तर गिरने से गम्भीर पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है, यह माननीय मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है और आप भी मान रहे हैं। मंत्री जी ने यह भी अवगत कराया है कि 600 ऐसे गाँव और तोकों का चयन किया गया है, जहाँ पेयजल संकट गम्भीर है। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जहाँ खच्चरों से टैंकरों से पानी की सप्लाई होती थी। मेरे विधान सभा क्षेत्र चाका, गजा और नकोट इत्यादि ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ पर पेयजल का गम्भीर संकट है। इस बारे में मैंने जल संस्थान के अधिशासी अधिकारी है उनसे वार्ता की, जिलाधिकारी से भी वार्ता करी तो उन्होंने टैण्डर तो निकाल दिये हैं लेकिन जो ठेकेदार है, सप्लायर्स है, वे कह रहे हैं कि हमारा पेमेन्ट दो–दो साल से नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि जहाँ पेयजल का गम्भीर संकट होता है, वहाँ पर ठेकेदारों का जो पेमेन्ट है वह कब तक करवायेंगे ताकि टैंकरों और खच्चरों से पानी की सप्लाई शुरू कर सकें। ताकि जो गम्भीर पेयजल संकट है उससे वहाँ की जनता को राहत मिल सके। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सम्बन्धित ठेकेदारों का पेमेन्ट कब तक करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष–

आपको पानी से मतलब है या पेमैन्ट से मतलब है?

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, उनका भुगतान नहीं हुआ है, वे पानी की सप्लाई करने से मना कर रहे हैं आप उनका भुगतान कब तक करवायेंगे मैं यह जानना चाहता हूँ। ताकि वे पानी की सप्लाई कर सकें (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं उसे तो सुन लें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय श्री ओम गोपाल जी ने टिहरी क्षेत्र की जानकारी दी है। मैं अवगत कराना चाहूँगा कि 114 क्षेत्र हमने चिन्हित किये हैं जो इस समय बिल्कुल अभावग्रस्त हो सकते हैं उनको हम पेयजल मुहैया करायेंगे। पेयजल ग्रस्त क्षेत्रों में किसी भी स्थिति में

पीने के लिए जल उपलब्ध कराने की नैतिक जिम्मेदारी सरकार की हैं जहाँ तक भुगतान की बात है इसका हम परीक्षण करवा लेंगे क्या परिस्थितियाँ हैं, क्यों नहीं भुगतान हुआ?

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पेयजल स्रोत के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु उत्तराखण्ड राज्य में जल संवर्धन मिशन का गठन कब किया गया, इसके साथ–साथ इसमें क्या–क्या कार्य किये गये इसमें अभी तक कितनी राशि व्यय की गई है तथा एक प्रश्न इसके साथ यह भी पूछ लेता हूँ, इसमें नीचे लिखा है कि जिला तकनीकी समिति का गठन किया जा रहा है तो इसका गठन कब तक कर लिया जायेगा?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जल संरक्षण एवं संवर्द्धन मिशन का गठन उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2005 में हुआ है। वर्ष 2005 के पश्चात् इस मिशन ने कार्य करना प्रारम्भ किया। यह नोडल एजेंसी के रूप में हैं। इस नोडल एजेंसी के माध्यम से विभिन्न विभागों के माध्यम से जो कार्य होते हैं उसमें रोजगार गारन्टी योजना के माध्यम से, ग्राम्य परियोजना के माध्यम से, जल संस्थान के माध्यम से उद्यान विभाग के माध्यम से ——।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसमें अभी तक कुल कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मैं आपको सारी जानकारी विभागवार दे रहा हूँ। मान्यवर, रोजगार गारन्टी योजना के माध्यम से जल संरक्षण एवं जल एकत्रीकरण सूखा रोधन के लघु सिंचाई के माध्यम से जल निकायों के पुनरूत्थान के कुल 35 हजार 760 कार्य किये गये है। ग्राम्य योजना में अभी तक जो कार्य किये गये हैं, वानिकी कार्यक्रम के तहत, जिसमें चौड़ी पत्ती के वन लगाते हैं ताकि वर्षा का जल नीचे भूमि में जाये इसके तहत हमने 81 मृदा के कार्य किये, 345 वृक्षारोपण के कार्य किये और नाला उपचार का कार्य भी किया। उद्यान विभाग के माध्यम से कार्य कराये जाते हैं। मान्यवर, 343 वृक्षारोपण के कार्य किये, 248 नालों के उपचार के कार्य किये गये। इसमें कुल व्यय एक करोड़ 68 लाख रूपये का किया गया। मान्यवर, इसी तरह से जो जल संस्थान द्वारा वर्षा जल संरक्षण के विभिन्न योजनाएँ स्वीकृति की गयी इसके तहत अभी तक 2 करोड़ 66 लाख रूपये का व्यय किया गया है। (व्यवधान के मध्य)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, कुल कितना व्यय किया गया है ? (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, आपको बता तो रहे हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर,आप थोड़ा धैर्य तो रखिये। मैं इसके बारे में भी जानकारी दे रहा हूँ। श्रीमन्, इसके साथ मुश्किल है कि जब एक के बारे में बताना है तो पाँच के बारे में पूछते हैं और जब पाँच के बारे में बताना है तो कहते हैं एक के बारे में बता दें (हंसी)। श्रीमन्, इसी तरह से उद्यान विभाग के द्वारा कार्य किये जा रहे हैं और जो रोजगार गारन्टी योजना के माध्यम से कार्य किये जा रहे हैं उसका कुल व्यय 38 करोड़ 48 लाख रूपये का है। (व्यवधान के मध्य)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, आपने जो विभिन्न योजनाओं के बारे में कहा हैकि 35700 योजनायें हैं वह क्या है?(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आपको बता रहे हैं, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो मूल विषय है वह जल संवर्धन मिशन है, वह एक नोडल ऐजेंसी के रूप में कार्य करता है। विभिन्न विकास कार्य योजनाएँ बनाये ताकि जल संवर्धन का कार्य हो। विशेष रूप से इसमें ध्यान दिया जाता है विभागों ने अपनी–अपनी कार्य योजनाऐं बनायी, उन कार्य योजनाओं में जल संवर्धन के कार्य किये जायें इस प्रकार की प्रक्रिया का हिस्सा है। उसको मॉनिटरिंग के रूप में कार्य एक नोडल ऐजेंसी का है, (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, जिला तकनीकी समन्वय समिति का गठन कब तक कर लिया जायेगा?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, इसको बता दें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो जिला स्तरीय जल संवर्धन समिति है उसका जिलाधिकारी के द्वारा आवश्यकतानुसार गठन किया जाता है, वह एक नोडल ऐजेंसी के रूप में कार्य करता है। (व्यवधान के मध्य)

श्री तिलक राज बेहड़-

मान्यवर, अभी आपने कहा कि किया जा रहा है।

श्री प्रकाश पन्त-

मान्यवर, तीन तरह की समिति है एक राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय और ब्लाक स्तरीय है। (व्यवधान के मध्य)

श्री तिलक राज बेहड़-

मान्यवर, जिला तकनीकी समन्वय समिति का गठन किया जा रहा है। वह कब तक किया जायेगा। (व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त-

श्रीमन्, जो जिला तकनीकी समन्वय समिति है वह जिला स्तरीय जल संवर्धन समिति है। यह प्रत्येक जनपद में है।(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, जिला तकनीकी समन्वय समिति का गठन किया जा रहा है।

श्री प्रकाश पन्त-

मान्यवर, तीन तरह की समितियां हैं जो तकनीकी समिति है उसमें प्रत्येक विभागों के जो तकनीकी अधिकारी हैं उनकी एक समिति होती है। उसमें इस विषय का संज्ञान लिया गया है और ध्यान दिया गया है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा कार्य किये जायें और जो जल स्रोत हैं इनके स्राव बहुत कम हो रहे हैं इनको ध्यान में रखते हुए हम शीघ्र से शीघ्र तकनीकी समन्वय समिति का गठन कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह इसका गठन शीघ्र से शीघ्र करने जा रहे हैं। (व्यवधान के मध्य) ?

श्री रणजीत रावत-

मान्यवर, नरेगा में माननीय मंत्री जी ने 35 हजार कार्य बताये हैं उसमें 38 करोड़ रूपये का व्यय बताया है, पर योजना के हिसाब से एक हजार रूपये का व्यय आ रहा है। (व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त-

मान्यवर, जो नरेगा के माध्यम से योजनायें होती हैं उसमें प्राथमिकता जल संवर्धन के कार्य को दिया जाय। (व्यवधान) जो नरेगा ने कार्य किये हैं वह 35 हजार 7 सौ 60 हैं। (व्यवधान)

श्रीमन्, नरेगा ने समय–समय पर कुल 35 हजार 760 कार्य किये। आपने जो जानकारी मांगी है हम आपको उपलब्ध करा देंगे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से, कि क्या इनका विभाग आंकड़े नहीं रखता। आंकड़े तो विभाग रखते होंगे। क्या जल विभाग को जोड़ना–घटाना नहीं आता कि नरेगा से इतना काम हुआ, ग्राम्य विभाग से इतना काम हुआ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो राज्य स्तरीय समिति है वे नीतिगत निर्णय लेती है। इसमें हम स्पेशल कम्पोनेन्ट की तरह से थोड़ी ही हिसाब रखेंगे। हमने नीतिगत निर्णय लिया और नीतिगत निर्णय के तहत योजनाएँ बननी शुरू हुई।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं श्री प्रकाश पन्त जी की बात से सहमत हूँ लेकिन मेरा कहना यह है कि क्या आपका विभाग आंकड़े नहीं रखता ?

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपको पृथक से अवगत करा दूँगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी पृथक से आपको बता देंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, यह नीतिगत निर्णय है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से यह कह दें कि कल अवगत करा देंगे।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, मंत्री जी अवगत करा देंगे जो भी आपकी जिज्ञासा है। एक सप्ताह के अन्दर अवगत करा देंगे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, पूरे सदन को अवगत करायें क्योंकि यह पूरे प्रदेश का मामला है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, इसमें कोई बात छिपाने वाली नहीं है। यह तो नोडल एजेन्सियाँ हैं। यहाँ पर नीतिगत निर्णय लिया जाता है। जल संवर्धन में कितना कार्य कराया गया है उसको हम आपको उपलब्ध करा देंगे। हम सभी विभागों से जानकारी मंगा करके आपके माध्यम से सदन को उपलब्ध करा देंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, बता तो दिया।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, हरिद्वार जनपद में जल स्तर गिरने के कारण 754 हैण्डपम्प खराब पड़े हुए हैं 2007 से स्थायी रूप से और इसमें लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है इस कारण इनकी संख्या 2240 हो गयी है यानि की 2240 हैण्डपम्प खराब है। हमारे पास जिलाधिकारी का एक पत्र है जो कि उन्होंने शासन को लिखा है कि इतने हैण्डपम्प जल स्तर गिरने के कारण खराब हो चुके हैं मै यह जानकारी चाहता हूँ क्योंकि माननीय मंत्री जी पेयजल संकट को दूर करने की बात कर रहे हैं। तो क्या हरिद्वार जनपद में पेयजल संकट उत्पन्न हुआ है जल स्तर गिरने के कारण हैण्डपम्प खराब हो चुके हैं उनके लिए बजट जारी कर उन्हें ठीक करायेगी।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, हमने इन सभी विषयों का परीक्षण कराया विशेष तौर पर हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर और चम्पावत जिलों में। मान्यवर, इसमें अलग–अलग समय पर परीक्षण कराया गया है।

श्री अध्यक्ष–

आप हरिद्वार के बारे में बता दें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, हरिद्वार में आपने अवगत कराया है कि कुछ हैण्डपम्प खराब हैं और जल स्तर घट गया है और जिसके चलते वे सूख गये हैं, उनका परीक्षण करा लिया जायेगा।

(माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश जी "वेल"के निकट आकर बोलने लगे।)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, वर्ष 2007 में परीक्षण हो चुका है, अब क्या परीक्षण करायेंगे, वर्ष 2007 में पत्र जिलाधिकारी द्वारा सरकार को भेजा जा चुका है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इस वर्ष कुम्भ निधि से पर्याप्त मात्रा में वहाँ हैण्डपम्प लगाये गये है, जल संकट की जैसी स्थिति हरिद्वार में नहीं है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, क्या परीक्षण कराना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जोर से बोलकर माननीय सदस्य क्या कहना चाहते हैं, समझ में नहीं आता है, जोर से बोलने का क्या मतलब, आपको हैण्डपम्प चाहिए तो हमें बतायें।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, वर्ष 2007 से खराब पड़े हैं और आज तक ठीक नहीं हुआ, जल स्तर गिरने लगा है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय मंत्री जी आपको बता रहे हैं। माननीय मंत्री जी, जो हैण्डपम्प खराब हैं वह बता दें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो हैण्डपम्प खराब हैं उनकी मरम्मत करायी जायेगी, जो हैण्डपम्प खराब हैं आप उनकी सूची उपलब्ध करा दें, ठीक है करा दिया जायेगा।

*2–श्री सुरेन्द्र राकेश–

तृतीय सोमवार के तारांकित–3 में स्थानान्तरित।

प्रदेश में सी0एन0जी0 चालित वाहनों की संख्या तथा घरेलू गैस का प्रयोग

*3–श्री प्रीतम सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने वाहन सी0एन0जी0 चालित हैं ?

क्या यह सत्य है कि सी0एन0जी0 चालित वाहनों में घरेलू गैस का प्रयोग किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो इसे रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री(श्री बंशीधर भगत)–

वर्तमान में कोई सी0एन0जी0 चालित वाहन पंजीकृत नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, मैंने प्रश्न किया कि "क्या यह सत्य है कि सी0एन0जी0 चालित वाहनों में घरेलू गैस का प्रयोग किया जा रहा है" तो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि"जी नहीं" तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में सी0एन0जी0 चालित वाहनों में घरेलू गैस का प्रयोग नहीं हो रहा है तो क्या आपने कोई परीक्षण कराया है, क्या परिवहन विभाग के माध्यम से इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है, उसे अवगत करा दें।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर,सी0एन0जी0 गैस अपने प्रदेश में प्रयुक्त होती ही नहीं है, इसलिए इसका प्रश्न ही नहीं उठता है कि सी0एन0जी0 गैस में घरेलू गैस का प्रयोग किया जाये।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैंने प्रश्न में सी0एन0जी0 गैस के साथ–साथ घरेलू गैस का भी जिक्र किया है। मान्यवर, डी0डी0 मोटर्स में गैस के फटने से एक दुर्घटना घटी थी, ऋषिकेश में एक वाहन में आग लग गई, उसमें भी सी0एन0जी0 थी, तो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि ऐसी कोई गैस है ही नहीं। तो क्या माननीय मंत्री जी ने इसके लिए परीक्षण कराया है, अगर डी0डी0 मोटर्स के अन्दर गैस किट फटी है तो निश्चित रूप से इसका प्रयोग किया गया है और ऋषिकेश के अन्दर गाड़ी में आग लगी है। मान्यवर, यह मैं नहीं कह रहा हूँ इसकी एफ0आई0आर0 भी दर्ज हुई है और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि "जी नहीं"। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री जी ने इस व्यवस्था को रोकने के लिए कोई अभियान चलाया है ?

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि सी0एन0जी0 गैस की फिलिंग का या सी0एन0जी0 का प्रयोग अपने उत्तराखण्ड़ राज्य में नहीं होता है और आपने कहा कि घरेलू गैस का उपयोग होता है सी0एन0जी0 गैस के साथ, तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सी0एन0जी0 गैस हमारे यहाँ मिलती नहीं है, सी0एन0जी0 का हमारे यहाँ कार्य ही नहीं है। घरेलू गैस की जहाँ तक बात है तो घरेलू गैस का प्रयोग इन कार्यों में वर्जित है, अपराध है, हमारी पूरी टीम इस काम को करती है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है।

श्री अध्यक्ष–

आपने अपने प्रश्न में पूछा है कि यह सत्य है कि सी0एन0जी0 चालित वाहनों में।...(व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था कि सी0एन0जी0 वाहनों में घरेलू गैस का उपयोग हो रहा है, इसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से दे दिया है कि नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य आप एक प्रश्न तो देखें। माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि अपराध है। माननीय मंत्री जी, एक बार फिर बता दें।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, पहले मैं प्रश्न पूरा कर दूं। मेरा प्रश्न है कि घरेलू गैस का प्रयोग वाहनों में किया जा रहा है, शायद सम्भवतया आपकी जानकारी में भी होगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री जी इस बात से सहमत हैं कि प्रयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। यदि किया जा रहा है तो इसे रोकने के कदम सरकार द्वारा उठाये गये हैं तो क्या कदम उठाये यह स्पष्ट कर दें।

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी ने पहले जो बात कही थी उसमें और इस बात में थोड़ा अंतर है। पहले माननीय सदस्य द्वारा कहा गया था कि सी0एन0जी0 गैस में घरेलू गैस का उपयोग किया जा रहा है तो इसका जवाब मैंने दिया था कि नहीं। अब माननीय सदस्य द्वारा कहा जा रहा है कि सी0एन0जी0 गैस का प्रयोग वाहनों में किया

जा रहा है कि नहीं। मान्यवर, जब कोई चोर चोरी करता है तो उसे पकड़ने के लिए सेना खड़ी कर रखी है और इस सेना ने पिछले वर्ष 141 वाहनों का चालान किया गया है और इस बार अभी तक 25 वाहनों का चालान किया गया है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, इस सेना में 4 आर0टी0ओ0, 13 ए0आर0टी0ओ0,13 पी0टी0ओ0, परिवर्तन अधिकारी, इसके अलावा सिपाही भी है। यह सेना इसी कार्य में लगी हुई है कि कहीं कोई इल–लिगल कार्य तो नहीं हो रहा है।

पर्वतीय क्षेत्रों में पंचायत समस्या के निदान हेतु सरकार के कदम

*4–श्री शेर सिंह–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल की समस्या है?

यदि हाँ, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रकाश पन्त–

जी हाँ।

राजीव गाँधी पेयजल सर्वे 2003 के अनुसार असेवित एवं आँशिक सेवित उपलब्धता के अनुसार आच्छादित किया जाना गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री शेर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि पेयजल सर्वे 2003 का सर्वेक्षण जो किया गया है वह किस आधार पर किया गया, उसका परिणाम क्या निकला। यदि उसे जनसंख्या आधार पर बनाया गया तो इसके पूर्व में जिस विभाग के द्वारा यह सर्वे कराया गया उन्होंने पहले जो पेयजल योजनाएं बनायी थी, उसके आधार पर बनाया। इसका परिणाम क्या निकला और इस सर्वेक्षण में कितने गांवों और कितने परिवारों की पेयजल की समस्या दूर हुई?

प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2003 में राज्य की समस्त बस्तियां, जो गैर आबाद हैं, सेवित हैं, आंशिक सेवित हैं। इन श्रेणियों का निर्धारण किया गया और इस राजीव गाँधी पेयजल मिशन का नाम दिया गया। इस आधार पर जो हमारे समक्ष जानकारी आयी उसके आधार पर 787 गैर आबादी गांव हैं, 20355 सेवित बस्तियां हैं।14091आंशिक सेवित बस्तियां हैं,4734 असेवित श्रेणी की बस्तियां हैं। इस आधार पर वर्ष 2006 में राज्य की

सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति थी। राजीव गांधी पेयजल मिशन सर्वेक्षण के आधार पर इसको सेक्टर परियोजना के तहत पेयजल योजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। उसके आधार पर दिनांक 01-04-2009 तक अद्यतन स्थिति है उसमें वर्तमान में 26828 (एफ0सी0) गांव पूर्ण आच्छादित हो चुके हैं। 2404 (पी0सी0) गांव आंशिक आच्छादित हैं और 2948 (एन0सी0) बस्तियां असेवित श्रेणी की बस्तियां हैं। माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि यह अति महत्वपूर्ण विषय माननीय सदस्य ने रखा है, इसके सम्बन्ध में मैं आपको आज की अद्यतन जानकारी दे दूँ। श्रीमन् , मेरे पास आज का करेन्ट अपडेट है। वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए हमको जो टार्गेट दिया गया था, उसके तहत हमको 1220 बस्तियों को इस वित्तीय वर्ष में आच्छादित करना था। इसके सापेक्ष अभी तक 938 बस्तियों को इस वित्तीय वर्ष में हम आच्छदित कर चूके हैं और पूरे भारत में सबसे पहला स्थान हमारा है, यह जानकारी आज ही नैट से निकाली है। इस प्रकार इस दिशा में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे है। हम आने वाले समय में राज्य की सभी बस्तियों को पेयजल से आच्छदित कर लेंगे।

श्री शेर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी द्वारा बताया गया कि इस सर्वे के द्वारा सेवित और असेवित बस्तियों की श्रेणी में रखा गया। जबकि मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इसकी तीन श्रेणियाँ तय थी, एफ0सी0, पी0सी0 और एन0सी0। उसमें राजीव गाँधी पेयजल मिशन सर्वेक्षण 2003 में जल निगम को नोडल विभाग घोषित कर बनाया गया था और जल निगम द्वारा जो सर्वेक्षण किया गया, उसमें ग्राम पंचायत में पूर्व निर्मित योजना को आधार बना कर उस ग्राम पंचायत को पूर्ण आच्छादित दिखाया गया। जबकि उस ग्राम पंचायत में कई ऐसे कस्बे और राजस्व ग्राम थे, कई ऐसे परिवार थे, जो इस सर्वे के अन्तर्गत नहीं आए और तात्कालिक रूप से वे पेयजल से वंचित रह गये। तो मेरे प्रश्न का आशय यह है कि यदि यह सर्वे एक ग्राम पंचायत को पूर्ण आच्छादित बना कर माना गया तो क्या भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ग्राम पंचायत में कई तोक और मजरे छूट गये थे, उनका सर्वे करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए यह सर्वे पूर्ण रूप से अव्यवहारिक सिद्ध हुआ कि पूर्व में निर्मित योजनाओं को आधार मानने के कारण सम्बन्धित ग्राम पंचायतों की जनसंख्या, बसावटों में अन्तर आ गया। 2003 की जो जनसंख्या थी, उसके आधार पर न करके 1999 में जो योजना बनायी गयी, उस को आधार बनाकर इसका सर्वे किया गया और पर कैपिटा कॉस्ट का निर्धारण किया गया। जबकि एक ग्राम पंचायत के अन्दर 10 परिवार रहते हैं तो पर कैपिटा कॉस्ट के हिसाब से वहाँ पानी कभी नहीं जा सकता। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ऐसे क्षेत्र मे सरकार ने क्या उपाय किये, जहाँ पर कैपिटा कॉस्ट का निर्धारण किया गया, जहाँ इन मानकों के अनुसार पानी की व्यवस्था आज तक नहीं हो पायी।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ तक राजीव गाँधी पेयजल मिशन के सर्वेक्षण के आधार की बात माननीय सदस्य ने कही, ऐसे सभी गाँव, जिनमें 40 एल0पी0सी0डी0 की दर से हम पेयजल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, ऐसे सभी गाँवों को एन0सी0 और पी0सी0 का दर्जा दिया गया है और जिन गाँवों में कोई भी योजना निर्मित नहीं है और जहाँ पेयजल का अत्यन्त संकट है, जो निर्धारित मानक हैं, उनके अनुरूप उनको पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, ऐसे गाँवों को एन0सी0 कहा गया।

जैसा कि मैंने पूर्व में जानकारी दी कि उस सर्वेक्षण के अन्तर्गत 4734 ऐसे तोक थे, ऐसी बस्तियाँ व बसासते थी जिनमें हम न्यूनतम मानक के आधार पर पेयजल उपलब्ध कराने में असमर्थ थे, उनको एन0सी0 दर्जा दिया गया और ऐसी सभी बस्तियाँ, गाँव, बसासतें, जिनमें आंशिक क्षेत्र में 40 एल0पी0सी0डी0 और उससे ऊपर जल उपलब्ध करा रहे थे, उनको एन0सी0 का दर्जा दिया गया। वर्तमान में, जैसा कि मैंने पूर्व में अवगत कराया, पिछले प्रश्न के उत्तर में कि तेजी से हमारे जो प्राकृतिक स्रोत हैं, उनके स्राव में कमी हुई है। उसको ध्यान में रखते हुए अनेकों गाँवों और बस्तियों से इस प्रकार की माँग आने लगी। हमारा चूंकि 40 एल0पी0सी0डी0 की दर से पेयजल उपलब्ध होना था, वह नहीं हो पा रहा है। उसको देखते हुये हमने यह तय किया है कि हमारे तीनों सम्बन्धित विभाग, जल विभाग, जल संस्थान और स्वजल के जिला स्तरीय अधिकारी ऐसी मांग आने पर उन गांवो का सर्वेक्षण करें और उसके लियें प्रस्ताव राज्य स्तरीय समिति को प्रेषितकरें और ऐसे एफ.सी. गांवो को हम पी.सी. की श्रेणी में और यदि बिल्कुल भी पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है तो उसे एन0सी0 की श्रेणी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। यह सर्वेक्षण हमारे तीनों जिला स्तरीय अधिकारी करेंगे, ऐसी कोई जानकारी माननीय सदस्यों के पास है तो वह भी हमें अवगत करा दें, लेकिन जो ग्राम पंचायत के आधार पर जानकारियां आती है, उन पर हम कार्य करते हैं।

श्रीमती आशा–

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि यह प्रश्न पर्वतीय क्षेत्र में हो रहे पेयजल संकट से सम्बन्धित है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत तल्ला नागपुर पम्पिंग पेयजल योजना, जिसमें 3 दर्जन से अधिक गांव हैं, उन गांवों में लगभग एक साल से टैंकरों से पानी दिया जा रहा है। तल्ला नागपुर के नाम से गांव में इसके लिये समिति गठित कर पत्रावली बनाकर शासन स्तर पर लम्बित हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या इसी वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिये वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होगी ? माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि वह योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में भी है।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन, चूंकि स्पेसिफिक योजना की जानकारी दिया जाना सम्भव नहीं होगा। फिर भी मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये इस प्रश्न पर सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि तल्ला नागपुर ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के लिये 24 करोड़, 92 लाख रूपये का प्रस्ताव हमें प्राप्त हुआ है और यह योजना चयन समिति द्वारा अनुमोदित हो चुकी है। चूंकि जो सेक्टर योजनाओं का मूलाधार है कि यदि कोई योजना 5 करोड़ से अधिक की राशि की है तो उसे राज्य की वित्त व्यय समिति के परीक्षण के उपरान्त ही धनराशि अवमुक्त की जा सकती है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसका परीक्षण हो जाय क्योंकि निश्चित रूप से तल्ला नागपुर पेयजल हेतु संकट में है, इसलिये हमारा प्रयास है वित्त व्यय समिति की संस्तुति उसमें आ जाय और उसके बाद उसमें कार्य प्रारम्भ करा दिया जाय।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, 2003 के सर्वेक्षण को आंशिकतः माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। 2003 के सर्वेक्षण के विपरीत जिला स्तरीय समितियों में यह बात सामने आ रही है। कि जो फुल्ली कवर्ड और पार्शियली कवर्ड उसमें बताये गये हैं ग्राम पंचायतों के नाम से। लेकिन उससे लगे हुये हेमलेट विलेजेज या बसायतें हैं, वह नानकवर्ड हैं। दूसरी समस्या जो आप बता रहे हैं कि पेयजल की आपूर्ति कम हो रही है और जनसंख्या अधिक है। तो ऐसी कितनी प्रकार की विसंगतियां 2003 के बाद के सर्वेक्षण में राज्य स्तरीय समिति को प्राप्त हुई हैं और इन विसंगतियों के निराकरण के लिये सरकार क्या उपाय करने जा रही है और क्या इन सबके निराकरण के लिये सरकार स्पष्ट नीति तैयार कर रही है ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जैसा कि मैंने बताया कि ऐसी सभी योजनायें, क्योंकि सेक्टर योजना मांग आधारित योजना है और इस मांग आधारित योजना पर जो डिमाण्ड आयेगी, उसी के आधार पर कार्य किये जाने की मूल भावना है। इस आधार पर अद्यतन स्थिति यह है कि हमारे पास 252 प्रस्ताव आये थे और वह सब ऐसे एफ.सी. गांव थे, जिन्होंने कहा था कि हमें 40 एल0पी0सी0डी0 की दर से पेयजल नहीं मिल रहा है और हमारे जिला स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से सर्वेक्षण किया गया। उन्होंने जो प्रपोजल हमें भेजे हैं, उन सभी 252 प्रस्तावों का हम परीक्षण कर रहे हैं और परीक्षणोपरान्त हम उनकी संस्तुति देंगे।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, आपूर्ति के आधारपर की बात थी और दूसरी मूल रूप से जो सजरे हैं। हेमलेट विलेजेल छूट गये हैं, जिनको ग्राम पंचायतों के कारण फुल्ली कवर्ड मान लिया था।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, ऐसे 312 प्रकरण हमारे पास आये थे, जिनमें से 252 को चिन्हित कर लिया गया है और उनकी सूची जारी कर दी गई है। मान्यवर, और परीक्षणोंपरान्त हम उनको संस्तुति देंगे।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, बढ़ी हुई आपूर्ति के आधार पर मूल रूप से जो सजरे छूट गये हैं, उनको कब तक ठीक करा देंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, 312 शिकायतें आयीं उनमें से 252 ठीक पायी गयीं और उनको अवमुक्त कर रहे हैं।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि बुराशखंडा पेयजल योजना में विद्युत सप्लाई बाधित रहने के कारण पूर्व में अधिकारियों द्वारा कहा गया था कि जैटर लगाकर सप्लाई को जारी रख जायेगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि वहाँ पर जो जैटर लगाने का प्राविधान था, कब तक हो जायेगा?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इंडीविजुअल योजनाएं बताया सम्भव नहीं होगा। मैं माननीय सदस्य को पृथक से इसकी जानकारी दे दूँगा।

*5–श्री जोत सिंह गुनसोला–

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

*6–श्री जोत सिंह गुनसोला–

आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त।

नगरीय क्षेत्रों में पम्पिंग योजनाओं में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु फिल्टर प्लांट

*7–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों की पम्पिंग योजनाओं में शुद्ध उपलब्ध करवाने हेतु फिल्टर प्लान्ट लगाये गये हैं?

यदि नहीं तो क्या सरकार फिल्टर प्लान्ट लगाने जाने पर विचार कर रही हैं? यदि हाँ, तो कब तक?

श्री प्रकाश पन्त–

जी हाँ।

पम्पिंग पेयजल योजनाओं हेतु चयनित स्रोत के जल की गुणवत्ता के आधार एवं माँग के अनुरूप आवश्यक क्षमता हेतु फिल्टर प्लांट लगाये जाते हैं। नलकूप तथा स्प्रिंग स्रोत आधारित योजनाओं पर फिल्टर प्लांट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। यद्यपि इन योजनाओं में क्लोरिनेशन अथवा आयोनाईजेशन के माध्यम से डिस्इन्फैक्शन किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा प्रश्न के उत्तर में आया है कि चयनित जल स्रोतों के जल की गुणवत्ता के आधार पर फिल्टर प्लांट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि पहले तो किन–किन पम्पिंग योजनाओं की जल गुणवत्ता क्या है और किन–किन गुणवत्ता के आधार पर ये फिल्टर प्लांट उसमें लगेंगे और कहाँ–कहाँ ये फिल्टर प्लांट अभी तक लगे हैं, कितनी इनकी संख्या है ? शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की जो बात आपके द्वारा कही गयी है, आपने कहा कि जो नलकूप और स्प्रिंग से पानी निकलता है, उसमें किसी फिल्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं मान्यवर, माननीय मंत्री जी से एक और प्रश्न जानना चाहूँगा कि क्या जितने भी ट्यूबवेलों के द्वारा या स्प्रिंग से पानी को टैंकों तक पहुँचाया जाता है। कोलानाईजेशन किया जाता है। कोलानाईजेशन करने के बाद क्या वो मात्र शुद्ध जल के रूप में लग जाता है या उसमें भी प्लांट लगाने की आवश्यकता होगी, इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सरकार क्या करने जा रही है?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने अति महत्वपूर्ण प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित किया है और इसके सम्बन्ध में अवगत कराना चाहूँगा। श्रीमन्, जो भारत सरकार ने वाटर सप्लाई और ट्रीटमेंट मैनुअल के आधार पर जो पेयजल की गुणवत्ता निर्धारण के लिए जो मानक निर्धारित किये हैं उसके आधार पर जो पेयजल की गुणवत्ता निर्धारण के लिए जो मानक निर्धारित किये हैं उसके आधार पर ऐसा जल जिसको पेयजल के रूप में उपयोग किया जा रहा है। उसके अन्तर्गत टर्बिडिटी 2.5 जे0टी0यू0, कलर 5.0, पी0एच0 7 से 8.5 टी0डी0एस0 500 एम0जी0 प्रति लीटर, टोटल हार्डनेस 200 एम0जी0 प्रति लीटर, आयरन 0.10 एम0जी0 प्रति लीटर, आर्सेनिक 0.05 एम0जी0 प्रति लीटर, और उसमें इकौलीप्वाइंट 0.0 होना चाहिए ये शुद्ध पेयजल कहलायेगा। चूँकि जहाँ तक आपने फिल्टर का प्रश्न किया। श्रीमन्, इस फिल्टर का उपयोग टर्बिडिटी समाप्त करने के लिए

होता है ताकि निर्धारित मानक के अनुरूप टर्बिडिटी 2.5 जे0टी0यू0 के माध्यम से मानक जो उसका है उसके आधार पर निर्धारित हो जाय और ये शुद्ध पेयजल की श्रेणी में जो भारत सरकार के मानक है उसके आधार पर हो जाय।

श्रीमन्, चूँकि वर्तमान में हम जो पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं, वो तीन तरह से करा रहे हैं। एक तो हम करा रहे हैं श्रीमन्, नलकूप के माध्यम से। दूसरा हम करा रहे हैं ग्रेविटी के जल से और तीसरा हम कराते हैं श्रीमन् सतही स्रोतों से। श्रीमन् इनमें से जो सतही स्रोत हैं जिसमें टर्बिडिटी होने की सम्भावना होती है इसमें आवश्यक है कि हम ऐसे सभी स्रोत, जिसमें फिल्टर प्लान्ट लगाये जाने आवश्यक हैं, उन सबमें लगाये जा रहे हैं। जहाँ तक आपने जानकारी चाही कि कितने में है और कितने में नहीं है, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि देहरादून में क्यारकूली गलोनी में सतही स्रोत हैं, इसमें अभी तक फिल्टर नहीं लगा है इसमें जल्द लगा रहे हैं।

दूसरा देहरादून में रायपुर क्षेत्र में हमारी योजना है जिसमें फिल्टर लगाने की प्रक्रिया चल रही है, रामनगर में बागा झाला का ग्रेविटी स्रोत है वह ग्रेविटी स्रोत है और बागेश्वर में एक स्रोत है जो ग्रेविटी स्रोत है, लोहाघाट के दो स्रोत हैं वह ग्रेविटी स्रोत हैं। हमारा यह प्रयास है कि नलकूप और स्प्रिंग स्रोत पर आधारित जो योजनायें हैं उनमें फिल्टर प्लान्ट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ऐसी योजनाओं में क्लोरीनेशन और आयोनाइजेशन के माध्यम से हम डिस्इन्फैक्शन करते हैं जिससे हम इन मानको के आधार पर पेयजल उपलब्ध कराने में सफल होंगे।

श्री यशपाल बेनाम–

मान्यवर, पौड़ी के लिए स्वीकृत जो नॉनघाट पेयजल योजना है, जिसका स्थलीय निरीक्षण आपने किया था। मैं इतना जानना चाहता हूँ कि क्या इस योजना के लिए केन्द्र सरकार ने धन देने से मना कर दिया है, अगर मना कर दिया है तो क्या हमारी सरकार इसे अपने संसाधनों से पूरा करायेगी?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह हमारी प्रतिबद्धता है नॉनघाट पेयजल योजना। यह माननीय मुख्यमंत्री जी का ब्रेन चाइल्ड है, हम चाह रहे हैं कि इसको हम शीघ्र पूरा करें।

श्री चन्दन राम दास–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि बागेश्वर में 20 साल पुरानी योजना है उसमें आज तक फिल्टर प्लांट नहीं लगाया गया है। दूसरा हमारी जखेड़ा पेयजल योजना है जो नगरीय क्षेत्र में आ रही है उसमें भी फिल्टर प्लान्ट नहीं लगाया गया है तीसरा जो गौड़ी धूराफाट पेयजल योजना है उसमें भी फिल्टर प्लांट नही लगा है। क्या इन तीनों पेयजल योजनाओं पर फिल्टर प्लान्ट लगाने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, बागेश्वर में दो पम्पिंग योजनायें हैं एक में फिल्टर नहीं है और एक में फिल्टर प्लान्ट है, उसका हम परीक्षण करवा लेंगे और टर्बिडिटी टेस्ट करा लेंगे, टर्बिडिटी मानक के अनुरूप होनी चाहिए अगर नहीं तो फिल्टर लगायेंगे।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय मंत्री जी, मेरा प्रश्न यह है कि इतना जरूर बता दें कि जब इतने परीक्षण करा दिये जाते हैं, इस परीक्षण में क्या जो हार्ड वाटर कन्टेंन्स हैं वह कितना है देहरादून में जितने भी सप्लाई लाईनें हैं चाहे वह पम्प की हों उसमें उसकी स्थिति क्या है, क्या विभाग उस लाइम कन्टेन्ट के निराकरण की कार्यवाही करने के लिए तैयार है?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो टोटल हार्डनेस का भारत सरकार का मानक है उसके आधार पर दो एम0जी0 प्रति लीटर होना चाहिए उस टोटल हार्डनेस के आधार पर ही शुद्ध पेयजल का दर्जा दिया जाता है।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में कुल कितनी पम्पिंग योजनायें हैं और उन पम्पिंग योजनाओं में कितने में फिल्टर लगे हैं और कितने में नहीं लगे हैं?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, चूँकि यह नगरीय क्षेत्र से सम्बन्धित प्रश्न है, अगर राज्य के सभी पम्पिंग योजनाओं की जानकारी माननीय सदस्य चाहेंगे तो वह मैं उपलब्ध करा दूँगा।(व्यवधान) मान्यवर, पाँच हमारे पास ऐसी पम्पिंग योजनायें हैं जिनमें अभी फिल्टर का प्रोसेस नहीं है। वहाँ टर्बिडिटी अपेक्षानुरूप पाई गई इसके चलते वहाँ फिल्टर न लगने की स्थिति आई। वहाँ फिर हम परीक्षण करवा रहे हैं कि अगर वहाँ टर्बिडिटी पाई गई तो वहाँ फिल्टर लगाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

स्थगित अतारांकित प्रश्न

जनपद पौड़ी अन्तर्गत बीरोंखाल में वर्ष 2008–09–10 में प्रदान की गई आर्थिक सहायता का विवरण।

1–श्री अमृता रावत–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत विवाह अथवा उपचार हेतु वर्ष 2008–09 तथा वर्ष 2009–10 में (अब तक) कितने और किस–किस के प्रार्थना–पत्र आर्थिक सहायता हेतु प्राप्त हुई हैं?

नोट–तारांकित संख्या–07 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इनमें किस–किस को कितनी–कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गई और शेष को आर्थिक सहायता प्रदान न किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु 21 आवेदन पत्र प्राप्त हुये (सूची संलग्न) तथा उपचार हेतु कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

वर्ष 2009–10 में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु कुल 35 आवेदन प्राप्त हुये। (सूची संलग्न) †

बीमारी के उपचार हेतु मात्र 1 आवेदन पत्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार दोनों वर्षों में कुल 57 आवेदन पत्र प्राप्त हुये।

वर्ष 2008–09 में विवाह अनुदान हेतु प्राप्त कुल 21 आवेदन पत्रों में से 14 आवेदन को स्वीकृत किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2009–10 में कुल 35 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 28 आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये (सूची संलग्न) † स्वीकृत आवेदन पत्र के अनुसार प्रत्येक लाभार्थी को रु0 10,000,00 की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। उपचार हेतु केवल 1 आवेदन पत्र प्राप्त हुआ जिसे उपचार हेतु रु0 2,000.00 की आर्थिक सहायता प्रदान की गई

जनपद पौड़ी हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के तहत वर्ष 2007 से वर्ष 2010 तक विधान सभा वार आंवटित धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं अवशेष का विवरण

2–श्रीमती अमृता रावत–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के लिए वर्ष 2007–08 तथा वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2009–10 में (अब तक) स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत कितना बजट आवंटित किया गया है तथा स्वीकृत बजट के अन्तर्गत स्वीकृत/निर्मित योजनाओं का विधान समावार विवरण क्या है?

क्या मंत्री जी यह भी बताऐंगे कि स्वीकृत/आवंटित बजट के सापेक्ष में कितनी–कितनी धनराशि किस–किस वित्तीय वर्ष में व्यय की गई है?

और अवशेष धनराशि व्यय न किए जाने के प्रति कौन उत्तरदायी है ?

---

† (देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या–74–81 पर)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08, वर्ष 2008–09 तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु जनपद पौड़ी गढ़वाल को आवंटित धनराशि का विवरण निम्नवत् है:–

वर्ष 2007–08 (रू.लाख में)	वर्ष 2008–09 (रू.लाख में)	वर्ष 2009–10 (रू.लाख में)
2459.38	2427.05	1732.38

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निर्मित योजनाओं का विधान सभावार विवरण संलग्न † किया जा रहा है।

स्वीकृत/आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण निम्नलिखित प्रस्तुत की जा रही है–

मद	वर्ष 2007–08 (रू.लाख में)	वर्ष 2008–09 (रू.लाख में)	वर्ष 2009–10 (रू.लाख में)
आवंटन	2459.38	2427.05	1732.38
व्यय	2342.25	2287.13	1221.26

विभिन्न विभागों द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना का क्रियान्वयन स्वयं किया जाता है।

अतारांकित प्रश्न

वित्तीय 2009–10 में एस0सी0पी0 योजना में मापदण्ड के अनुरूप बजट निर्धारण

1–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2009–10 में एस0 सी0 पी0 योजना में बजट निर्धारण मापदण्ड के अनुरूप किया गया हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

वित्तीय वर्ष 2009–10 में एस0सी0पी0 योजना में रू 60193.03 लाख का निर्धारण विभिन्न विभागों द्वारा अपनी योजनाओं की आवश्यकतानुसार वित्त विभाग से कराया गया है।

उपरोक्तानुसार।

† (देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ संख्या–82–91 पर)

जनपद हरिद्वार में सिंचित एवं असिंचित तथा असिंचित भूमि को सिंचित किये जाने हेतु सरकार की योजना

2–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में कितनी भूमि सिंचित एवं कितनी भूमि असिंचित है ?

क्या सरकार द्वारा असिंचित भूमि सिंचित किये जाने हेतु कोई कार्य योजना बनाये जाने पर विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जनपद हरिद्वार में राजकीय संसाधनों से 45635 हेक्टेयर एवं निजी/अन्य संसाधनों से 61529 हेक्टेयर अर्थात कुल 107164 हैक्टेयर भूमि शुद्ध सिंचित है तथा 12995 हैक्टेयर भूमि असिंचित है।

जी हाँ। जनपद हरिद्वार में असिंचित भूमि को सिंचित किये जाने की कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया गतिमान है। यद्यपि असिंचित भूमि एवं निजी/अन्य संसाधनों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु वर्तमान में 02 नहरें एवं 107 नलकूपों के निर्माण की योजना प्रगति पर है, तथा वर्ष 2012 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित हैं। उक्त योजनायें पूर्ण हो जाने पर 10437 हैक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इसके अतिरिक्त 9 योजनायें नहर निर्माण/विस्तार की तथा 112 नलकूपों की 4 योजनायें विभिन्न चरणों में स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

प्रश्न नहीं उठता।

3–श्री सुरेन्द्र राकेश–

आश्वासन समिति के विचाराधीन विषय।

जनपद पिथौरागढ़ अर्न्तगत ग्राम नागधूला में बन्द पड़ी पेयजल योजना का पुनर्निर्माण

4–श्री जोगा राम टम्टा–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के ब्लाक तथा तहसील गंगोलीहाट के ग्राम नागधूला की पेयजल योजना कितने समय से बन्द पड़ी है?

क्या बन्द पेयजल योजना के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत रैतोला की ओर से दिनांक 15.12.2009 को प्रार्थना–पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है?

यदि हाँ, तो मंत्री महोदय के आदेश 1960/मंत्री पेयजल दिनांक 16.12.2009 पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

क्या सरकार उक्त योजना के पुनर्निर्माण हेतु कोई योजना बना रही है?

यदि हाँ, तो योजना का विवरण क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रकाश पन्त–

नागघूणा पेयजल योजना बन्द नहीं है परन्तु सड़क निर्माण से क्षतिग्रस्त होने के फलस्वरूप अस्थाई रूप से आँशिक जलापूर्ति की जा रहीं है।

जी हाँ।

योजना की ग्रेविटि मेन का संरेखण बदलने एवं तत्सम्बन्धी कार्यों के लिए प्राक्कलन विरचित कर लिया गया है।

जी नहीं।

परन्तु योजना के ग्रेविटि मेन का संरेखण बदलने एव तत्सम्बन्धी कार्य करते हुए योजना के जीर्णोद्धार का कार्य सड़क निर्माण के पश्चात पूर्ण कर पेयजल की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पिथौरागढ़ में गंगोलीहाट से पव्वाधार तक बस सेवा का संचालन

5–श्री जोगा राम टम्टा–

क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ में गंगोलीहाट पव्वाधार मोटर मार्ग पर कि0मी0 12 तक पक्का मार्ग निर्मित है और इस पर कई वर्षां से यातायात चालू है?

यदि हाँ, तो भारी यातायात दबाव के बाद भी इस मार्ग में बस न चलाने के क्या कारण हैं तथा कब तक गंगोलीहाट से पव्वाधार तक बस चलायी जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों,

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ।

मार्ग निर्धारण (Route Formulation) की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

6–श्री राजेश जुवांठा–

प्रथम बुधवार के अतारांकित–22 में स्थानान्तरित।

पर्वतीय क्षेत्रों में सरकार द्वारा उद्योगों की स्थापना तथा विवरण

7–श्री शेर सिंह–

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में सरकार द्वारा कोई उद्योग स्थापित किये गये हैं?

यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बंशीधर भगत–

राज्य सरकार द्वारा स्वयं उद्योग स्थापित करने की कोई नीति नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य के सुदूर तथा पर्वतीय जनपदों में निजी उद्यमियों को उद्योग स्थापना हेतु प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1.4.2008 से विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 लागू की गई है। इस नीति के लागू होने के पश्चात् नीति से आच्छादित सुदूर व पर्वतीय जनपदों में वर्ष 2008–09 में 643 उद्यम तथा वर्ष 2009–10 में (दिसम्बर 2009 तक) 535 उद्यम विभिन्न उद्यमियों द्वारा स्थापित किये गये हैं जिनमें क्रमशः रूपयें 48.49 करोड़ तथा रूपये 50.32 करोड़ का पूँजी निवेश हुआ है।

राज्य में कारीगरों के परम्रागत व्यवसाय को बढ़ावा देने पर सरकार की कार्य योजना

8–श्री राजेश जुवांठा–

क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड राज्य में बढ़ई, लुहार, बाजगी, कुम्हार, दर्जी, शिल्पकार बर्तन बनाने वाले कारीगरों का परम्परागत व्यवसाय आर्थिक तंगी के कारण लुप्त होता जा रहा है?

यदि हाँ, तो सरकार इनके परम्परागत व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्य योजना बना रही है?

यदि हाँ, तो क्या?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

उत्तराखण्ड राज्य में बढ़ई, लुहार, कुम्हार, दर्जी एवं बर्तन बनाने आदि शिल्प का कार्य परम्परागत रूप से प्रचलित रहा है। आधुनिक युग की बाजार आर्थिकी, परम्परागत व्यवसाय से इतर व्यवसाय/सेवा अपनाने, शिक्षा के प्रचार–प्रसार, राजकीय सेवाओं में बढ़ती भागीदारी तथा परम्परागत शिल्प के उत्पादों से पर्याप्त आमदनी न हो पाने के कारण परम्परागत व्यवसाय में किंचित ह्रास की स्थिति उत्पन्न हुई है, किन्तु उक्त शिल्प अभी लुप्त नहीं हुए हैं।

परम्परागत शिल्पों को सुदृढ़ बनाने, इनके संरक्षण–सम्बर्द्धन तथा इन्हें आयजनित आर्थिक क्रियाकलाप के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004–05 से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजति के लिए शिल्पी ग्राम योजना आरम्भ की गई है।

योजनान्तर्गत परम्परागत शिल्पों को पुनर्स्थापित करने के लिए निम्नवत् प्रावधान किए गए हैं–

(1) परम्परागत शिल्पों तथा शिल्पकारों की वर्तमान स्थिति ज्ञात करने हेतु अध्ययन, मूल्यांकन, सूचना संकलन;

(2) प्रशिक्षण;

(3) नई तकनीक एवं डिजाइन विकास;

(4) अवस्थापना सुविधाएं;

(5) सहायक सुविधा;

(6) विपणन प्रोत्साहन;

(7) हाट, मेले, प्रदर्शनी आयोजन आदि।

प्रदेश में गौरा देवी कन्याधन योजना का प्रारम्भ व योजना हेतु धन की उपलब्धता

9–श्री प्रीतम सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में गौरा देवी कन्याधन योजना कब से प्रारम्भ हुई?

क्या योजना के लिए पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

गौरा देवी कन्याधन योजना दिनांक 01 अप्रैल, 2007 से प्रारम्भ हुई।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

10–श्री शेर सिंह–

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

जनपद हरिद्वार विधान सभा क्षेत्र लालढांग में वर्ष 2004 के बाद नाबार्ड सहायतित स्थापित नलकूपों की स्थिति

11–हाजी तस्लीम अहमद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र लालढांग जनपद हरिद्वार में वर्ष 2004 के बाद नाबार्ड सहायतित स्थापित कितने राजकीय नलकूप बन्द व कार्यरत हैं?

क्या मंत्री जी अवगत है कि ग्राम खानपुर, मोगपुर, सुलतानपुर आदि क्षेत्र के राजकीय नलकूप खराब होने के कारण बंद हैं?

यदि हाँ, तो सरकार बन्द पड़े नलकूपों को कब तक चालू करायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

विधान सभा क्षेत्र लालढांग, जनपद हरिद्धार में नाबार्ड से सहायतित 26 नलकूपों में से वर्तमान में 7 बन्द हैं, तथा 19 कार्यरत हैं।

वर्तमान में राजकीय नलकूप ग्राम खानपुर विद्युत यांत्रिक दोष के कारण बन्द हैं। यह दोनो नलकूप उपरोक्त 7 बन्द नलकूपों मे सम्मिलित हैं।

इन सभी बन्द नलकूपों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में चालू किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत चौबट्टाखाल ग्राम समूह पम्पिंग योजना प्रारम्भ न होने के कारण

12–श्रीमती अमृता रावत–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत चौबट्टाखल ग्राम समूह पम्पिंग अंशदान जमा करवाए जाने के बावजूद भी अभी तक योजना पर कार्य न करवाए जाने के क्या कारण हैं ?

तथा कब तक इस योजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री प्रकाश पन्त–

स्वैप पद्धति के अन्तर्गत योजना में सम्मिलित 22 ग्राम पंचायतों में से 20 ग्राम पचायतों में समितियों के बैंक खाते खुलवा दिये गये हैं। मात्र 5 समितियों द्वारा निर्धारित अंशदान जमा किया गया है। शेष समितियों से अंशदान जमा किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त कार्यवाही सम्पन्न होने के उपरान्त ही प्राक्कलन विरचित कर स्वीकृति के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जायेंगे।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत बीरोंखाल ग्राम समूह पम्पिंग योजना हेतु अवमुक्त धनराशि एवं कार्य प्रगति

13–श्रीमती अमृता रावत–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत बीरोखाल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के अवशेष निर्माण कार्यों को पूर्ण करवाने हेतु कितनी–कितनी धनराशि कब–कब अवमुक्त की गयी है?

तथा योजना के निर्माण की कार्य प्रगति क्या है?

और कब तक इस योजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा?

श्री प्रकाश पन्त–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत बीरोखाल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु निम्नानुसार धनराशि अवमुक्त की गयी है:–

क्र0 सं0	कार्यक्रम का नाम	वित्तीय वर्ष	अवमुक्त धनराशि (रू0 लाख में)
1	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1998–99	50.00
2	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1999–2000	60.72
3	राज्य सैक्टर ग्रामीण	2000–01	150.00
4	राज्य सैक्टर ग्रामीण	2001–02	47.72
5	राज्य सैक्टर ग्रामीण	2002–03	50.00
6	राज्य सैक्टर ग्रामीण	2004–05	55.12
7	त्वरित ग्रामीण कार्यक्रम (डबटेल)	2008–09	103.55
8	त्वरित ग्रामीण कार्यक्रम (डबटेल)	2009–10	19.29
	योग		536.40

वर्तमान तक योजना के 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण किये जा चुकें है। अवशेष कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु निविदायें आमंत्रित की गयी है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगा।

सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी तथा प्रदेश में कार्यरत मजदूर/श्रमिकों की संख्या

14–श्री जोत सिंह गुनसोला तथा श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार के द्वारा वर्तमान में कितनी मजदूरी निर्धारित की गई है तथा प्रदेश के विभिन्न आस्थानों में कार्यरत् मजदूर/श्रमिकों को निर्धारित मजदूरी मिल रही है?

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्तमान में प्रदेश में संगठित क्षेत्र में कुल कितने मजदूर कार्यरत है तथा प्रति मजदूर को कितनी मजदूरी का भुगतान किया जाता है?

श्री प्रकाश पन्त–

वर्तमान में, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 59 अनुसूचित नियोजनों में कार्य की प्रकृति के अनुसार न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गयी है। उदाहरणार्थ उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख अन्यत्र नहीं है, के अकुशल श्रमिकों हेतु वर्तमान में न्यूनतम दैनिक मजदूरी रू 121.27 निर्धारित है।

जी हाँ।

प्रदेश में कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन के अनुसार वर्तमान में लगभग 2,07,000 कर्मकार नियोजित है। जिन्हें निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाता है।

प्रदेश में संचालित व असहातित हाईड्रम योजनायें

15–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में अब तक कुल कितने हाईड्रम योजनायें पूर्ण हो चुकी है ?

तथा वर्तमान में कितनी योजनायें बन्द पडी हुई है ?

क्या सरकार बन्द पड़ी योजनाओं को पुनः प्रारम्भ करने पर विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रदेश में अब तक कुल 671 हाईड्रम योजनायें स्थापित की गई हैं।

वर्तमान में 223 योजनायें बन्द हैं।

जी हाँ।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला व मोरी में स्वीकृत आई0टी0आई0 का भवन निर्माण

16–श्री राजेश जुवांठा–

क्या श्रम मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र में सीमान्त ब्लॉक में आई0टी0आई0 स्वीकृत है तथा पुरोला में आई0टी0आई0 भवन का निर्माण होना है?

क्या यह सत्य है कि अभी तक स्वीकृत आई0टी0आई0 मोरी में कक्षाएँ शुरू नहीं की गई है और न ही मोरी और पुरोला में भवन निर्माण का कार्य शुरू हुआ है?

यदि हाँ तो कब तक उक्त आई0टी0आई0 भवनों में कक्षायें प्रारम्भ तथा भवन निर्माण के कार्य शुरू कर दिये जाएंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

जी हाँ।

जी हाँ

मोरी आई0टी0आई0 को किराये के भवन में संचालित करने हेतु कार्यवाही की जा रही है किराये के भवन में आई0टी0आई0 के संचालित होने पर कक्षायें प्रारम्भ हो जायेगी। आई0टी0आई0 पुरोला किराये के भवन में संचालित है तथा आई0टी0आई0 मोरी एवं पुरोला के भवन निर्माण हेतु भूमि का चयन किया जा रहा है। भूमि उपलब्ध होने पर भवन निर्माण किया जाना सम्भव होगा।

जिला उत्तरकाशी अन्तर्गत पुरोला में कमल नदी, मालगाढ़ नदी पर बाढ़ सुरक्षा हेतु सुरक्षा हेतु कार्य योजना

17–श्री राजेश जुवांठा–

क्या सिंचाई तथा बाढ नियंत्रण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सिचाई निर्माण खण्ड पुरोला जिला उत्तरकाशी में सिंचाई विभाग द्वारा कमल नदी बाढ़ सुरक्षा का विस्तार एवं सौन्दर्यीकरण, ईशाली–आराकोट प्राक्कलन शासन में विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त नदी पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों को प्रारम्भ किये जाने हेतु किसी कार्य योजना बनाये जाने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

सिचाई निर्माण खण्ड पुरोला, जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत कमल नदी पर 02 लघु बाढ़ सुरक्षा योजनायें, धनराशि रूपये 18.67 लाख, मालागाड़ खड्ड पर 02 बाढ़ सुरक्षा योजनायें धनराशि रुपये 120.66 लाख, आराकोट–ईशाली बाढ़ सुरक्षा योजना धनराशि रुपये 91.44 लाख बजट के अभाव में स्वीकृति नहीं दी जा सकी है।

मालागाढ़ बाढ़ सुरक्षा योजना का विस्तार एवं सौन्दर्यीकरण के नाम से कोई अन्य योजना विचाराधीन नहीं नहीं है।

योजना की स्वीकृति एवं धन उपलब्ध होने के उपरान्त कार्य कराया जायेगा।

उपरोक्त।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत राठ महाविधालय पैठाणी में अनुसूचित जाति छात्रावास के निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि व कार्य की प्रगति

18–श्रीमती अमृता रावत–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी–गढ़वाल के विकास खण्ड थलीसैंण के अन्तर्गत राठ महाविद्यालय पैठाणी में अनुसूचित जाति छात्रावास के निर्माण हेतु कब कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

क्या मंत्री जी यह भी बताएंगे कि अब तक निर्माण कार्य की प्रगति क्या है और कब तक स्वीकृत छात्रावास का निर्माण पूर्ण किया जाएगा?

क्या यह भी सत्य है कि छात्रावास निर्माण एक लम्बी अवधि से बन्द पड़ा हुआ है?

यदि हाँ, तो इसके कारण क्या है तथा इसके प्रति कौन उत्तरदायी है?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जनपद पौड़ी–गढ़वाल के विकासखण्ड थलीसैंण स्थित राठ महाविद्यालय, पैठाणी में अनुसूचित जाति छात्रावास के निर्माण हेतु शासनादेश दिनांक 09 अक्टूबर 2006 द्वारा रूपये 155.28 लाख के आगणन पर स्वीकृति प्रदान करते हुए 62.11 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई।

छात्रावास का 25 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा अवशेष निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करा लिया जाएगा।

तत्कालीन माननीय राज्यमंत्री, समाज कल्याण के निर्देश दिनांक 28 जून 2007 के क्रम में जिलाधिकारी पौड़ी–गढ़वाल से छात्रावास निर्माण की जांच कराई गई तथा जांच आख्या में कोई प्रतिकूल तथ्य न पाए जाने के कारण निर्माण पर लगी रोक हटाते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु शासनादेश दिनांक 19 जून 2009 जारी किया गया। माह जून 2009 से छात्रावास का निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून अन्तर्गत शास्त्री नगर में सर्वेक्षण के बाद भी सीवर लाईन न बिछाये जाने के कारण

19–श्री यशपाल बेनाम–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जल निगम द्वारा जनपद देहरादून के विकास खण्ड रायपुर के अन्तर्गत शास्त्रीनगर (हरिद्वार रोड) में वर्ष 2008 में सीवर लाईन बिछाने का सर्वेक्षण कार्य किया गया था?

यदि हाँ, तो अभी तक सीवर लाईन बिछाये न जाने के क्या कारण है?

सरकार कब तक शास्त्रीनगर में सीवर लाईन बिछाये जाने का कार्य प्रारम्भ करेंगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रकाश पन्त–

जी हाँ।

देहरादून सीवरेज योजना फेज–1 जिसमें शास्त्रीनगर (हरिद्वार रोड) सम्मिलित है का प्राक्कलन जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत रू0 8014.04 लाख विरचित कर भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। जिस पर दिनांक 9 फरवरी 2010 को सी0एस0एम0सी0 द्वारा रू 62.63 करोड़ की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2007 के बाद खुले नये आई0टी0आई0 का ब्यौरा

20–श्री यशपाल बेनाम–

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2007 से अब तक प्रदेश में कितने आई0टी0आई0 खोले गये हैं? क्या सरकार उक्त का ब्यौरा सदन के पटल पर रखेगी?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

वर्ष 2007–08 से अब तक प्रदेश में 01 आई0टी0आई0 नाकुरी, जनपद बागेश्वर स्थापित की गयी है।

प्रदेश में एस0सी0/एसी0टी0/ओ0बी0सी0 छात्र–छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2009–10 में प्रदत्त छात्रवृति व इसके सापेक्ष प्राप्त आवेदन

21–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2009–10 में विभाग द्वारा एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 हेतु कुल कितने छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई तथा इसके सापेक्ष विभाग को कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

वित्तीय वर्ष 2009–2010 में फरवरी 2010 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदनपत्रों के सापेक्ष छात्र–छात्राओं को निम्न विवरणानुसार छात्रवृति प्रदान की गई है–

अनुसूचित जाति छात्रवृति

(अ) कुल प्राप्त आवेदनपत्र	5,45,294
(ब) वर्तमान तक लाभान्वितों की संख्या	4,92,414

अनूसूचित जनजाति छात्रवृत्ति

(अ) कुल प्राप्त आवेदनपत्र	90,850
(ब) वर्तमान तक लाभान्वितों की संख्या	68,766

अन्य पिछड़ी जाति छात्रवृति

(अ) कुल प्राप्त आवेदनपत्र	60,994
(ब) वर्तमान तक लाभाविन्तों की संख्या	42,277

प्रदेश में विधवा/विधुर पेंशन हेतु प्राप्त समस्त आवेदकों को वित्तीय वर्ष 2009–10 में पेंशन का लाभ

22–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगें कि विधवा/विधुर तथा वृद्धा पेंशन हेतु सभी पात्र आवेदकों को वित्तीय वर्ष 2009–10 में पेंशन प्रदान की गई है?

यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

क्या सरकार समय पर उक्त को पेंशन भुगतान कराने की योजना पर विचार कर रही है?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

दिनांक 28 दिसम्बर, 2006 से निराश्रित विधवा,विकलांग एवं वृद्धावस्था पेंशन योजना सार्वभौम कर दी गई है। फलस्वरूप पात्रता की श्रेणी में आने वाले सभी पेंशनर्स को पेंशन दिये जाने का प्राविधान है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009–10 में वर्तमान समय तक वद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत 2,39,789 लाभार्थियों के सापेक्ष 2,09,437 लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान किया जा चुका है तथा विधवा पेंशन योजनान्तर्गत् 84,188 एवं विकलांग पेंशन योजनान्तर्गत् 41,034 लाभार्थियों को आंशिक रूप से पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। शेष लाभार्थियों को पेंशन भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। विधुर को पेंशन देय नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

समय पर पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

प्रदेश के सिंचाई विभाग में ढांचे अनुरूप कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी तथा रिक्त पदों की स्थिति

23–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सिंचाई विभाग का ढ़ांचा स्वीकृत है?

यदि हाँ, तो स्वीकृत ढ़ांचे के सापेक्ष विभागों में कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं?

क्या सरकार ढ़ांचे के अनुरूप रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने पर विचार करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

विभागीय संरचना शासन के विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

24–श्री जोत सिंह गुनसोला–

तृतीय मंगलवार तक स्थगित।

प्रदेश में खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग को बढ़ावा दिये जाने हेतु सरकार की नीति

25–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के अन्तर्गत आज तक कुल कितनी इकाईयाँ उत्पादन कर रही है?

क्या सरकार द्वारा खादी उद्योग को बढ़ावा देने की नीति बनायी गई है?

यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

प्रदेश में खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के अन्तर्गत आज तक कुल उत्पादनरत इकाईयों की स्थिति निम्नवत् है–

खादी इकाईयाँ – 42

ग्रामोद्योग इकाईयाँ – 6775

खादी उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कलस्टर विकास योजना का शुभारम्भ खादी महोत्सव 2009 में किया गया।

1–स्थानीय संसाधनों का व्यवसायिक उपयोग किया जाना।

2–पर्वतीय क्षेत्रों में कलस्टर के आधार पर स्थानीय लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराना।

3–पर्वतीय क्षेत्रों में कलस्टर विकास से स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों का भी विकास कराना।

4–प्रत्येक वर्ष 15 कलस्टर विकसित किया जाना।

5–इस योजना में हाथ से कताई, बुनाई, प्राकृतिक रंगों का निर्माण एवं प्राकृतिक रंगों से रंगाई, ब्लाक प्रिटिंग, इम्ब्राइडरी, फाईबर आधारित उद्योग आदि विकसित करना।

सरकार द्वारा बाह्य सहायतित परियोजना की वर्ष 2009 तक की परियोजनाएं तथा कार्य प्रगति

26–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या बाह्य सहायतित परियोजना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2009 के अंत तक किन–किन बाह्य सहायतित परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है?

क्या सरकार द्वारा इन योजनाओं को निर्धारित अवधि में पूरा कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो सरकार कितने समय में उक्त परियोजनाओं को पूरा करेगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

जिन बाह्य सहायतित परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, उनके नाम निम्नवत् है:–

1–उत्तराखण्ड़ विकेन्द्रीकृत जलागम परियोजना (ग्राम्या)

2– हिमालय आजीविका सुधार परियोजना

3– स्वजल परियोजना (द्वितीय चरण)

4– उत्तराखण्ड़ सड़क निवेश कार्यक्रम

5–उत्तराखण्ड़ पॉवर सैक्टर निवेश कार्यक्रम (विद्युत उत्पादन)

6– उत्तराखण्ड़ पॉवर सैक्टर निवेश कार्यक्रम (विधुत पारेषण एवं वितरण)

7– उत्तराखण्ड़ नगर सैक्टर विकास निवेश कार्यक्रम

8– समेकित पर्यटन अवस्थापना विकास परियोजना

जी हाँ।

निर्धारित समय पर।

बाह्य सहायतित परियोजना में वर्ष 2009 तक ऋण व अनुदान की स्थिति तथा वित्तीय वर्ष 2009–10 में ऋण अदायगी का विवरण

27–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या बाह्य सहायतित परियोजना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बाह्य सहायतित परियोजनाओं की वर्ष 2009 तक ऋण व अनुदान की स्थिति क्या थी तथा कुल कितना अनुदान किन–किन मदों में प्राप्त हुआ?

क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2009–10 में ऋण की अदायगी का भी विवरण प्रस्तुत करेगी?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेगें कि लिए गये ऋण का सरकार के द्वारा कितने वर्षों में किन ब्याज दरों पर भुगतान किया गया है?

श्री प्रकाश पन्त–

विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने के कारण बाह्य सहायतित परियोजनाओं के लिए भारत सरकार गारन्टीकर्ता के तौर पर कार्य करती है। अतः इन परियोजनाओं के अन्तर्गत राज्य के ऋण भार को भारत सरकार द्वारा 90:10 के अनुपात में वहन किया जाता है। बाह्य सहायतित परियोजनाएँ, उत्तराखण्ड के गठन से पूर्व अर्थात उत्तर प्रदेश के समय से चली आ रही हैं। तथा बाह्य सहायतित परियोजनाओं में मिलने वाली धनराशि

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005–06 से पूर्व तक 90 प्रतिशत अनुदान व 10 प्रतिशत ऋण के रूप में दी जाती रही है जोकि राज्य को मिलने वाले ब्लॉक अनुदान व ब्लॉक ऋण में समाहित की जाती रही है। वर्ष 2005–06 के बाद ऋण की धनराशि बाजार ऋण के रूप में राज्य सरकार द्वारा बाजार से ली जाती है। महालेखाकार उत्तराखण्ड द्वारा भी बाह्य सहायतित परियोजनाओं का पृथक से लेखा जोखा नहीं रखा जाता है।

बाह्य सहायतित योजनाओं में मदवार प्राप्त अनुदान/ऋण की धनराशि भारत सरकार द्वारा अलग से नहीं दर्शायी जाती है वरन् इसको क्रमशः ब्लॉक अनुदान व ब्लॉक ऋण में समाहित कर दिया जाता रहा है।

ऋण अदायगी का विवरण बजट साहित्य के खण्ड–05 में वित्त अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत मुख्य लेखाशीर्षक 6004 में प्रदर्शित हैं।

सामान्यतः ऋण भुगतान की अवधि 25 वर्ष है। प्रथम पाँच वर्ष भुगतान में छूट प्राप्त है तथा छठे वर्ष से भुगतान प्रारम्भ होता है। ब्याज की दर समय सापेक्ष व परियोजना सापेक्ष परिवर्तनीय है। वर्तमान में 09 प्रतिशत की ब्याज दर से भुगतान किया जा रहा है। वर्तमान में संचालित हो रही परियोजनाओं के प्रभावी ऋण समझौते को पाँच वर्ष नहीं बीते हैं। अतः अभी इन परियोजनाओं का ऋण भुगतान प्रारम्भ नहीं हुआ है।

जनपद टिहरी अन्तर्गत लालूर पट्टी में लम्बित पम्पिंग योजना को वित्तीय स्वीकृति

28–श्री गणेश जोशी–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लालूर पट्टी पम्पिग पेयजल योजना की वित्तीय स्वीकृति का प्रकरण लम्बित है?

यदि हाँ, तो मंत्री जी व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए लालूर पट्टी पम्पिंग पेयजल योजना को मूर्त रूप देने हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

जी हाँ।

जनपद टिहरी गढ़वाल की लालूर पट्टी पम्पिंग पेयजल योजना का स्वैप कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित अनु० लागत रू0 1513.30 लाख के प्राक्कलन पर रू0 1.00 करोड़ से अधिक लागत वाली योजनाओं के चयन हेतु गठित राज्य स्तरीय चयन समिति/व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् ही धनावंटन की कार्यवाही सम्भव हो पायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी के नैनबाग स्थित आई0टी0आई0 के भवन निर्माण की स्वीकृति

29–श्री गणेश जोशी–

क्या श्रम मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल में नैनबाग स्थित आई0टी0आई0 स्थापना की स्वीकृति के उपरान्त भी अब तक भवन निर्मित नहीं हो पाया हैं, जिस कारण कक्षायें संचालित करने में अत्यंत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? यदि हाँ, तो क्या सरकार छात्र/छात्राओं के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुये उक्त आई0टी0आई के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान करेंगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जनपद टिहरी गढ़वाल में नैनबाग स्थित आई0टी0आई0 वर्तमान समय में किराये के भवन में संचालित है, आई0टी0आई0 के भवन निर्माण हेतु भूमि का चयन किया जा रहा है, भूमि की उपलब्धता होने पर भवन निर्माण की कार्यवाही की जानी सम्भव होगी।

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समस्त सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

*श्री करन मेहरा–

माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

क्या व्यवस्था का प्रश्न आ गया। चलने दीजिए।

भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष, 2008–09 के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में उत्तर प्रदेश की सूचना शामिल किये जाने तथा उत्तराखण्ड लिखे जाने के सम्बन्ध में उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न

श्री करन मेहरा–

मान्यवर, वित्त लेखे 2008–2009 में उत्तर प्रदेश के कई शहरों को लेकर नवनिर्माणों का जिक्र किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के कई शहरों में निर्माण कार्यों का जिक्र किया गया है। जैसे पृष्ठ–155 में अस्पताल और औषधालय लखनऊ के जिला अस्पताल में सुसज्जित एवं आधुनिक शल्य चिकित्सा सम्बन्धी एवं आकस्मिक विभाग का निर्माण फर्रूखाबाद में 300 शैय्याओं के अस्पताल का निर्माण। इसमें उत्तर प्रदेश का

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वित्त लेखा है या उत्तराखण्ड का है। (भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के कई माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर जोर–जोर से अपनी बात को कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(माननीय सदस्य श्री दिनेश अग्रवाल और माननीय सदस्य करन मेहरा ''वेल'' में आकर माननीय संसदीय कार्यमंत्री को वित्त लेखे की पुस्तक दिखाने लगे)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार का डाक्यूमेन्ट है और यह माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

कृपया बात तो सुन लें। थोड़ा धैर्य तो रखें। अगर आपको इस विषय पर कोई आपत्ति है या कोई ऐसा विषय है जो आपको आपत्तिजनक लग रहा है तो श्रीमन्, इस विषय पर चर्चा के लिए आप यहाँ पर कह सकते हैं। हम सी0ए0जी0 से इसकी जानकारी ले लेंगे। चूँकि यह सी0ए0जी0 का डाक्यूमेन्ट है यह उत्तराखण्ड सरकार का डाक्यूमेन्ट नहीं है। सी0ए0जी0 से पूछा जा सकता है। इसमें चर्चा होती है आप नियमावली देख सकते हैं। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(माननीय सदस्य ''वेल'' में पूर्ववत् अपनी बात कहते रहे।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह डाक्यूमेन्ट सी0ए0जी0 भारत सरकार का है, उत्तराखण्ड सरकार का नहीं है, इसमें केवल उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखे हैं। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

*नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, इसमें चर्चा कहाँ से हो जायेगी। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, चर्चा क्यों नहीं हो सकती है आप नियमावली देंखे और इसमें सी0ए0जी0 से पूछा जायेगा। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) वित्त लेखे तो उत्तराखण्ड सरकार के भी हैं, उनसे पूछा जायेगा। उस पर हम स्पष्टीकरण नहीं लेंगे, चूँकि सदन के संज्ञान में लाने के लिए यह लेइंग आइटम है। हम इसलिए इसको सदन में लाये हैं यदि कोई आपत्ति है तो उस पर चर्चा हो सकती है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्य श्री दिनेश अग्रवाल एवं श्री करन मेहरा "वेल" से वापस अपने स्थान पर गये।) (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो वित्तीय लेखे हैं वह उत्तराखण्ड सरकार के भी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के भी और वित्तीय लेखों का सम्पूर्ण विभाजन होने के बाद ही होगा। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) माननीय नेता प्रतिपक्ष कृपापूर्वक पृष्ठ संख्या–10 को पढ़ लें, जो "उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 की संख्या 29) के परिप्रेक्ष्य में" (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) आप इसको पढ़ लें, जो आप आपत्ति लगा रहे हैं उसकी प्रमाणिकता तो ले लीजिए। यह वित्तीय लेखे राज्य बनने से पूर्व के होते हैं और यह भारत की संवैधानिक व्यवस्था है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) अभी–अभी आपको प्राप्त हुआ है, आपसे मेरा आग्रह है इसको आप पढ़ लीजिए।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, क्या यह भारत सरकार के द्वारा छापा गया है? इसको सरकार सदन के अन्दर प्रस्तुत कर रही है न की भारत सरकार प्रस्तुत कर रही है और न ही महालेखाकार प्रस्तुत कर रहा है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। इसको पहले आप देख लें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम –300 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र राकेश तथा श्री नारायण पाल की कुल 02 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री सुरेन्द्र राकेश, तथा श्री नारायण पाल की दोनों सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ।

जनपद हरिद्वार के अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव छांगा माजरी वहाबपुर एवं नागल पलूनी सम्पर्क मार्ग के लिए एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत अवस्थापना मद से सड़क के निर्माण हेतु स्वीकृत रू0 1.54 करोड़ के सापेक्ष लगभग रू0 4.00 करोड़ स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र राकेश–

[मान्यवर, हरिद्वार जनपद के अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव छांगा माजरी वहाबपुर एवं नागल पलूनी, जो एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत अवस्थापना मद में कार्य किये जाने हेतु चयन किया गया है। इन ग्रामों में एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग बनाया जाना अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। इनमें से नागल पलूनी तक सड़क बनाने हेतु भगवानपुर–इमलीखेड़ा मार्ग से घिर माजरा होते हुए नागल पलूनी तक एस0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–2008 तक में पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा स्वीकृति दी गयी। लेकिन इस सड़क के निर्माण हेतु मात्र 1.54 करोड़ रू0 स्वीकृत किये गये हैं, जबकि कार्य की लागत 04 करोड़ से अधिक बनती है। इसलिए इस सड़क में निर्माण हेतु संशोधित इस्टीमेट हेतु स्वीकृति की जानी अनिवार्य एवं आवश्यक है। किन्तु गत दो वर्षों से अभी तक स्वीकृति नहीं की गयी है जिससे कि गांव की जनता में रोष उत्पन्न हो रहा है। इसी प्रकार से छांगा माजरी वहाबपुर अनुसूचित बाहुल्य गांव में भी भगवानपुर–इमलीखेड़ा मार्ग से गांव तक अप्रोच मार्ग हेतु इस्टीमेट बनाकर पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा कुम्भ मेला 2010 की अयोजना में भेजा गया है, इसकी स्वीकृति न तो कुम्भ मेला 2010 में जारी की गयी है और न ही एस0सी0पी0 योजना 2009–2010 मे इस अप्रोच मार्ग की स्वीकृति की गयी है। उक्त दोनों गांव में अनुसूचित जाति की जनसंख्या लगभग 70 प्रतिशत से अधिक है। इसलिए उक्त दोनों गांव में सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु इस अति लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट–[ ] यह अंश पढा हुआ माना गया।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री नारायण पाल का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अपनी सूचना पढ़ने के लिए सदन में उपस्थिति नहीं थे।) (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2008–09 के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में उत्तर प्रदेश की सूचना शामिल किये जाने तथा उत्तरांचल लिखे जाने के सम्बन्ध में उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय (क्रमागत)

*श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित साथी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैंने इस पर व्यवस्था दे दी है। इसको आज ही प्रस्तुत किया है आप इसे पढ़ लें। इस पर चर्चा करा लेंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह सीधे पी०ए०सी० को चले जायेगा। इसमें विस्तृत रूप से चर्चा हो जायेगी पी०ए०सी० तो आप ही लोगों की है, पी०ए०सी० विपक्ष की होती है। अगर इसमें कोई आपत्ति है तो पी०ए०सी० में उस पर चर्चा हो जायेगी। (घोर व्यवधान के मध्य)

डा० हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने व्यवस्था के तहत यह उठाया है। आप विनिश्चय दे दें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन् यदि अनुमति हो तो मैं केवल एक पैरा पढ़ दूँ जिससे कि यह स्पष्ट हो जायेगा। उत्तर प्रदेश को पुनगर्ठित किया गया एवं 9 नवम्बर, 2000 से एक नए राज्य "उत्तराखण्ड" की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के सन्दर्भ में नियत दिन के तुरन्त पूर्व संयुक्त उत्तर प्रदेश राज्य की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का प्रभाजन एवं प्रत्येक मामलों में अन्य वित्तीय समायोजन किये जाने अपेक्षित हैं। सुन तो लीजिए जहाँ भी ऐसे प्रगामी व्यय तथा अन्तिम शेष का बँटवारा हो गया है और अन्तरण कर लिया गया है ऐसी धनराशियाँ इस लेखे में दर्शायी गयी है और जिन वित्तीय लेखों का विभाजन नहीं हुआ है वह दोनों जगहों पर दर्शायी गयी है यहाँ भी दर्शायी गयी है और उत्तर प्रदेश में भी दर्शायी है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मेरा विनम्र आग्रह है कि पहले डाक्यूमेन्ट को पढ़ लें। इसका प्रमाण–पत्र पढ़िये उससे स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

*श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय कृपया पेज नं0–147 पढ़े।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, अगर आप सहमत हों क्योंकि यह मद अभी पटल पर रखी नहीं गयी है तो जो माननीय सदस्यों की जिज्ञासा है उसका स्पष्टीकरण इस मद को स्थगित कर दिया जाय दोबारा रख लेंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन् यह तो सी0ए0जी0 की रिपोर्ट है और यह पटल पर आ गयी और जो कुछ जानना चाह रहे हैं वह स्पष्टीकरण उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, सदन को गुमराह किया जा रहा है। कोई भी रिपोर्ट हो जो सदन के पटल पर रखी जा रही है उसमें सरकार की जिम्मेदारी होती है।

श्री अध्यक्ष–

इसमें कोई गलती आप इंगित करते हैं तो माननीय मंत्री जी इसका जवाब दे देंगे।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह जवाब का सवाल नहीं है यह व्यवस्था का सवाल है।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, यह विधान सभा इस अखण्ड भारत के संविधान के आधार पर गठित की गयी है और संविधान के अनु0–151 कहता है श्रीमन्, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के संघ के लेखाओं सम्बन्धी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा जो उनके संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं सम्बन्धी प्रतिवेदन को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा जो उनको राज्य के विधान मण्डल के समक्ष रखवाएगा। इसीलिए राज्यपाल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं कियां

के माध्यम से सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आप संविधान के अनु0–151 देखिए।

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य पूर्ववत् अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलते रहे।)

(घोर व्यवधान के माध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह महामहिम राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत हुआ और उनके माध्यम से सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, संविधान के अनुच्छेद–151 में है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह जिम्मेदारी निश्चित है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसमें गलत कुछ भी नहीं है, अगर कोई आपत्ति है तो लोक लेखा समिति को आज ही संदर्भित हो जायेगा और लोक लेखा समिति को अपनी आपत्ति दर्ज करायें और उसमें परीक्षण करायें। मान्यवर, सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है, जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के माध्यम से रिपोर्ट दी जायेगी वह हमारी संवैधानिक बाध्यता है, संविधान के अनुच्छेद–151 के तहत बाध्य हैं। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इस सदन के ऊपर महालेखाकार नहीं है, क्या यह सदन संविधान के तहत नहीं बना है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है, भारत का संविधान सर्वोपरि है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, भारत का संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि गलत तथ्य दें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसीलिए इसे सदन में रखा गया है कि इसके गुण–अवगुण दोष का परीक्षण किया जाये और अगर आपत्ति है तो उसके लिए विधिवत् व्यवस्था बनी हुई है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, आप महाराष्ट्र का भी प्रस्तुत कर देंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, महाराष्ट्र का नहीं है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश नहीं है, हमारा उत्तराखण्ड प्रदेश है क्या भारत के संविधान में यह है, दूसरे प्रदेश का तथ्य इस सदन में क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है।

*श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, आपने जो व्यवस्था दी है उसको नहीं मान रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैंने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी है, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, सी0ए0जी0 के अधिकारी लोक लेखा समिति में रहते हैं और उनको बुलाया जाता है। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह लोक लेखा समिति का मामला नहीं है, यह सदन का मामला है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह लोक लेखा समिति का मामला है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह सदन सर्वोपरि है, जो डाक्यूमेन्ट प्रस्तुत किया जायेगा वह प्रदेश का मामला है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी भारत का संविधान का जिक्र किया है, जिसमें आपने कहा है कि सदन नियमों के अनुकूल चलेगा, हम सहमत हैं, आज हमारे सम्मानित सदस्य द्वारा व्यवस्था के सम्बन्ध में एक बात कही गई है, जो वित्त लेखे सदन के सम्मुख रखे गये हैं उसमें त्रुटि है। आपने कहा कि चर्चा करा लें, तो बात चर्चा की नहीं है बात यह है कि जो वित्त लेखे प्रस्तुत किये हैं क्या यह सही हैं, यदि सही हैं तो चर्चा करायें, यदि वित्त लेखे में कोई गलत उल्लेख हुआ है तो मैं समझता हूँ कि उसमें चर्चा का औचित्य ही नहीं बनता है। चर्चा तो उस विषय पर करेंगे जो उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में इस सदन में रखेंगे। मान्यवर, आपका संरक्षण चाहिए, जो व्यवस्था का प्रश्न सम्मानित साथी ने उठाया है, उस पर व्यवस्था दें, हम बहस करेंगे, तो बहुत लम्बा विषय है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि पी0ए0सी0 में महालेखाकार के अधिकारी भी रहेंगे और आप भी रहेंगे, उसके बाद जो विसंगति होगी उस पर चर्चा हो जायेगी। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, हमारा कहना यह नहीं है, हमारा यह कहना है कि जो दस्तावेज हैं, यह जो सम्मानित सदन में डाक्यूमेन्ट सरकार ने रखा है, तो आज लोक लेखा समिति का जिक्र कर रहे हैं, महालेखाकार का जिक्र कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, महालेखाकार का जिक्र यहाँ पर करना उचित नहीं है।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पुनः कह रहा हूँ। चूंकि यह हमारी संवैधानिक बाध्यता है कि संविधान के अनुच्छेद–151 के तहत यह डाक्यूमेन्ट यहाँ पर रखा गया है और इसके गुणावगुण का परीक्षण करने के लिए नियमावली के नियम–218 के तहत लोक लेखा समिति बनी, फिर भी आप कोई विनिश्चय देना चाहें तो उचित होगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, अगर आप सहमत हों तो जो माननीय सदस्यों की जिज्ञासा है उसका आप निराकरण करने के लिए, यदि इसे थोड़ा स्थगित कर दिया जाय तो दुबारा इसे फिर टेकअप कर देंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–3 स्थगित हुई।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या–04 पुकारे जाने पर नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपनी–अपनी सीटों पर खड़े हो गये और एक साथ अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हुआ।)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आज नियम–310 के अन्तर्गत हमारी बहुत महत्वपूर्ण सूचना थी जो प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं पर सरकार द्वारा भारी अनियमितता की गयी है।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, शून्यकाल से पहले की सूचना को ले रहे हैं। नियम–310 को तो आप शून्यकाल में उठायेंगे।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि आज समस्त कार्यवाही स्थगित कर, इस पर चर्चा करायी जाय।

श्री अध्यक्ष–

यह पटल पर रखने वाली मदें है। कृपया शान्त रहें। (व्यवधान)

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपनी–अपनी सीटों पर खड़े हो गये और नारे बाजी करने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड विधान सभा के तृतीय सत्र वर्ष, 2009 में प्राप्त नियम–300 की सूचनाओं पर सरकार द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2009 के तृतीय सत्र में, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या–14(3) अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड विनियोग (2009–2010 का अनुपूरक) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग (2009–2010 का अनुपूरक) विधेयक, 2009 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2009 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 जनवरी, 2010 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2010 का पहला अधिनियम बन गया।

देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2009 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2009 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 जनवरी, 2010 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2010 का दूसरा अधिनियम बन गया।

हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2009 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 जनवरी, 2010 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2010 का तीसरा अधिनियम बन गया।

पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2009 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2009 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 जनवरी, 2010 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2010 का चौथा अधिनियम बन गया।

इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2009 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 जनवरी, 2010 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2010 का पाँचवा अधिनियम बन गया।

पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम,2003 (संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2009 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 जनवरी, 2010 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2010 का छठा अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973) (संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973) (संशोधन) विधेयक, 2009 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 जनवरी, 2010 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2010 का सातवां अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965) (संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965) (संशोधन) विधेयक, 2009 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 जनवरी, 2010 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखसण्ड का वर्ष 2010 का आठवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) (संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) (संशोधन) विधेयक, 2009 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 जनवरी, 2010 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2010 का नौवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2009 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 2010 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2010 का दसवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2009 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 07 जनवरी, 2010 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2010 को ग्यारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक, 2009)

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 2009 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2009 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 07, दिनांक 07 जनवरी, 2010 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2010 को बारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि (संशोधन) विधेयक,2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2009 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2009 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 07 जनवरी, 2010 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2010 का तेरहवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड राजभाषा विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड राजभाषा विधेयक, 2009 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2009 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 07 जनवरी, 2010 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2010 का चौदहवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971} (संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971} (संशोधन) विधेयक, 2009 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2009 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 07 जनवरी, 2010 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरखण्ड का वर्ष 2010 का पन्द्रहवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2009 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2009 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 07 जनवरी, 2010 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2010 का सोलहवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते)} (संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते)} (संशोधन) विधेयक, 2009 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2009 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 07 जनवरी, 2010 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2010 का सत्रहवां अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–7 और 8 स्थगित किये जाते हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड आबकारी नीति वर्ष, 2010–11

*आबकारी एवं पर्यटन मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

मान्यवर, मैं उत्तराखण्ड विधान सभा के प्रथम सत्र, 2010 में उत्तराखण्ड आबकारी नीति वर्ष 2010–11 को मा0 सदन के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। (व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा है, हम उच्च स्तरीय जाँच कराएंगे। तो सरकार क्यों नहीं जाँच करा रही है?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार इस विषय पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी।(व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2010

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2010

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। नियम–310 के अन्तर्गत आपने जो विषय उठाया है, उस पर मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूँ। कृपया स्थान ग्रहण करें।

("वेल" में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे और नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम–310 के अन्तर्गत विभिन्न विषयों पर चर्चा कराये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 के अन्तर्गत पहली सूचना श्री शहजाद, श्री हरिदास, श्री नारायण पाल, श्री प्रेमानन्द महाजन एवं श्री सुरेन्द्र राकेश की प्राप्त हुई है। जो कि प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं को बनाने हेतु अभिलेखों में की गई भारी अनियमितता और धांधली होने के सम्बन्ध में है। इसी सम्बन्ध में एक सूचना माननीय किशोर उपाध्याय, माननीय दिनेश अग्रवाल, माननीय मनोज तिवारी एवं अन्य सदस्यों की है। यह दोनों सूचनायें चूंकि एक ही विषय पर हैं, अतः पहली सूचना के साथ इसे भी संलग्न करते हुये इसे ग्राह्यता पर सुन लूंगा।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत) –

माननीय अध्यक्ष जी, आज विधान सभा की पूरी कार्यवाही को रोककर इस विषय पर नियम–310 में चर्चा कराई जानी चाहिये, हमें आपका संरक्षण चाहिये क्योंकि इस प्रदेश के जल संसाधन को माफियाओं के हाथ बेचा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

एक अन्य सूचना, माननीय सुरेन्द्र राकेश, माननीय हरिदास, माननीय नारायण पाल एवं अन्य सदस्यों की है, जो उत्तराखण्ड में नियमों और शासनादेशों की धज्जियां उड़ाते हुये एक उद्योगपति के स्वामित्व वाली कम्पनी जो ऋषिकेश में स्थित है, जिस कम्पनी को राज्य सरकार द्वारा कैमिकल फैक्ट्री लगाने हेतु तत्कालीन सरकार द्वारा निम्न शर्तों के आधार पर दी गई थी, के सम्बन्ध में है। चूंकि यह सूचना अपने आप में अस्पष्ट है, इसलिये मैं इस सूचना को अस्वीकार करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत श्री यशपाल बेनाम, श्री शहजाद एवं श्री नारायण पाल की कुल तीन सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री शहजाद की सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ, शेष सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं।

("वेल" में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह बड़ा खेल हुआ है। चार लोगों ने यह खेल खेला है। जल विद्युत परियोजना को बेचने का। (घोर व्यवधान)। भारत सरकार की रिपोर्ट है माननीय अध्यक्ष जी, 14 कम्पनियों में ये भागीदार हैं। इनमें से एक 13 जल विद्युत का डायरेक्टर है। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। किसी भी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा जब तक सदन व्यवस्थित नहीं होता। (व्यवधान) जब तक सदन व्यवस्थित नहीं हो जाता किसी की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा। (घोर व्यवधान) मैं सदन की कार्यवाही को 03:00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 3:00 बजे श्री अध्यक्ष के समापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

*श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, स्टेडिया कैमिकल कम्पनी ऋषिकेश के उद्योगपति को 52 एकड़ जमीन देकर के बहुत बड़ा महा घोटाले की संज्ञा प्रदेश में इसे दी जा रही है। हमने इस सम्बन्ध में नियम–310 में सूचना दी थी, हमारी इस पर चर्चा कराये जाने की माँग है। इसमें कई मंत्रियों के नाम और बड़े–बड़े नेताओं के नाम चर्चा में हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, चर्चा शुरू कर दी।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा शुरू नहीं की है, आप स्थान ग्रहण करें। नेता बसपा कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुन लें, वह क्या कह रहे हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–310 के अन्तर्गत हमारी भी सूचना बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष–

दोनों ही सूचनायें महत्वपूर्ण हैं। (व्यवधान)

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में इससे महत्वपूर्ण बात और कोई नहीं है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर नियम–310 की अपनी सूचनाओं पर चर्चा कराये जाने की माँग जोर–जोर से करने लगे जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया) (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आप हमारी सूचना को नियम–310 में सुन रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं दोनों को ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। मैं जब तक सुनूँगा नहीं तो उसके ऊपर विनिश्चिय कैसे करूँगा। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, मान्यवर, आप नियमों को शिथिल करते हुए इस पर चर्चा करा दीजिए।

(नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य श्री शहजाद, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री हरिदास तथा माननीय सदस्य हाजी तस्लीम अहमद "वेल" में आ गये और जोर–जोर से नारे लगाने जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हमारे लिए यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष–

नियम–310 के अन्तर्गत जो व्यवस्था है, मैं आपकी बात उसमें सुन रहा हूँ और कोई नियम है तो बता दीजिए। यह विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए दोनों विषयों को मैं सुन रहा हूँ। (घोर व्यवधान)

("वेल" में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, माननीय सदस्यों के पास कोई फैक्ट एण्ड फिगर है तो अवगत करायें अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न करने से क्या लाभ होगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने व नारे लगाने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, पहले हम ग्राह्यता पर बोलेंगे ग्राहयता पर बोलने के बाद आपका विनिश्चय आ जायेगा। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कोई और नियम हों तो बता दें। आप नियम देख लें। मैं सभी माननीय सदस्यों की बात सुन रहा हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा जब तक सदन व्यवस्थित न हो जाए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

("वेल"में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय नेता बसपा आपकी बात सुन रहे हैं कृपया आप अपने सहयोगियों से अपने स्थान पर बैठने के लिए निवेदन कीजिए। यह नियम में स्पष्ट है, अगर कोई और नियमों के अन्तर्गत है तो आप बता दीजिए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, बड़ा गम्भीर विषय है, हम आपका विनिश्चय यह चाहते हैं कि आप इस पर चर्चा करा लें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम में स्पष्ट है "कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाय" मान्यवर यह किस नियम के अन्तर्गत प्रस्ताव कर रहे हैं कि इसको निलम्बित कर दिया जाय। वह कौन सा नियम है जिसको आप कह रहे हैं कि प्रस्ताव निलम्बित किया जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आज विधान सभा की समस्त कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करायी जाय। यह प्रदेश की ज्वलंत समस्या है इस पर चर्चा करायी जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात सुन तो रहे हैं, कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान के मध्य)

("वेल" में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा लगता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा न होने के कारण सदन को नहीं चलने देना चाह रहे हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष –

माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ बोलना चाह रहे हैं कृपया आसन ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

मुख्यमंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निंशंक") –

यह सरकार एक–एक विषय पर चर्चा कराने को तैयार है लेकिन विपक्ष सुनने को तैयार नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि आप सुनना नहीं चाहते हैं एक–एक विषय का सरकार जवाब देने को तैयार है। श्रीमन्, उत्तराखण्ड की जल सम्पदाओं को किसने बेचा है, हजारों मेगावाट बिजली कांग्रेस के समय पर बेची गयी है।

("वेल " में खड़े सभी माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें। (व्यवधान) नियम–310 के अन्तर्गत जो व्यवस्था है, मैं उसके अन्तर्गत सुनने को तैयार हूँ। यदि कोई और नियम है तो उसे मुझे बता दीजिए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

नियम–310 में स्पष्ट है कि कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाय और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो वह नियम उस समय के लिए निलम्बित कर दिया जायेगा। ऐसी अवस्था में जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा, वह अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय की जायेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष –

मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी माननीय सदस्य अपना पक्ष रखने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं दोनों सूचनाओं को अस्वीकार करता हूँ। (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

*श्री केदार सिंह फोनिया–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन महामहिम राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 08 मार्च, 2010 को दिए गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री पुष्पेश त्रिपाठी तथा श्री खड़क सिंह वोहरा की कुल 03 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से जनपद नैनीताल में ग्राम भौनरा, पट्टी मल्ली रौ, तहसील धारी में दिनांक 14 जुलाई, 2009 की रात्रि में श्रीमती नन्दी देवी के घर में विषाक्त भोजन खाने से उनके तीन पुत्रों की मृत्यु होने के कारण उन्हें आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री खड़क सिंह वोहरा की सूचना को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा जनपद अल्मोड़ा के तहसील द्वाराहाट एवं तहसील चौखुटिया के भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ और जपनद हरिद्वार के ग्रामों में जनविरोध के कारण कतिपय गाँवों को चकबन्दी से बाहर रखने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश की सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ।

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 3 बजकर 31 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

देहरादूनः
दिनांकः 09 मार्च, 2010

महेश चन्द्र,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा उत्तराखण्ड।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नत्थी ''क''

(देखिए स्थगित ता0 प्र0 01 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0 2 पर)

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम 40 (2) के अन्तर्गत श्री नारायण पाल, मा0 विधायक के विधान सभा के प्रथम मंगलवार हेतु स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या–1 का उत्तरालेख का संलग्नक।

क्र0सं0	विभाग का नाम	आलोच्य अवधि में कराये गये कार्यों का विवरण	व्यय धनराशि (रु0 लाख में)	
			वर्ष 2007–08	वर्ष 2007–08
1	2	3	4	5
1.	समाज कल्याण विभाग	क–अवस्थापना मद सितारगंज–लौका, थारूतिसौर, साबेपुर, विरेन्द्रनगर, ख–छात्रवृत्ति तथा पेंशन (समस्त उक्त क्षेत्र में)	86.33 75.24	– 89.41
2.	उरेडा विभाग	सितारगंज– गौठा, विरिया, कठघरी, डोहरा, कुंवरपुर, लौका, मखवरा, गोविन्दपुर। शक्तिगढ़– लालरखश, उकरौली।	4.17	1.04
3.	चिकित्सा विभाग	सितारगंज– महिला चिकित्सालय परिसर में आवासीय भवन, होम्योपैथिक चिकित्सालय भवन सितारगंज एवं मैनाझुण्डी, शव विच्छेदन गृह सितारगंज का कार्य नानकमत्ता–परि0 क0 उपकेन्द्र देवकली,टिकुरी, नवदिया, बिचुवा, सिसईखेड़ा का कार्य / प्रा. स्वा. केन्द्र नानकमत्ता का कार्य। शक्तिगढ़– परि0 क0 उपकेन्द्र तिलियापुर का कार्य।	132.34	28.23
4.	सिंचाई विभाग	सितारगंज– मैनाझुण्डी, तिसौर, चीकाघाट तथा करघटिया माइनर (नहर) की लाईनिंग का कार्य। शक्तिगढ़– दौघा माइनर (नहर) की लाईनिंगका कार्य।	141.55	4.50
5.	ग्राम्य विकास	क–<u>इन्दिरा आवास योजना</u> सितारगंज– गोबिन्दपुर, सिसौना, साधूनगर, थारू तिसौर, गौरीखेड़ा, बहोरी, भिटौरा,हलुवा, डोहरा, बमनपुरी, चीकाघाट,नकहा,गौठा नानकमत्ता–कल्याणपुर, सुनखरा, डियोडी, पंचपेड़ा सरौजा, नानकमत्ता शक्तिगढ़– तिलियापुर, वरूआबाग, वसगर, लालरखश	–	38.00
		ख–<u>दीनदयाल आवास योजना</u> सितारगंज– डोहरा, डोहरी, गोविन्दपुर, लम्बाखेड़ा, सिसौना, लौका, पंडरी, गौठा, खुनसरा, नकहा,	–	22.55

1	2	3	4	5
		नानकमत्ता– ऐंचता, सुनखरीकला, सुनखरा, कल्याणपुर शक्तिगढ़– लालरखश, बरुआबाग, तिलियापुर		
6.	डेरी विकास	सितारगंज– लौका, चीकाघाट, नकुलिया दुग्ध समिति में व्यय	0.83	0.81
7.	युवा कल्याण	सितारगंज, नानकमत्ता एवं शक्तिगढ़ क्षेत्र में युवा मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि	–	0.26
8.	पंचायती राज	सितारगंज– गोविन्दपुर, गौठा, नकहा, लौका, साधुनगर में सी.सी.मार्ग व नाली निर्माण का कार्य नानकमत्ता– नानकमत्ता, धूसरी में सी0सी0मार्ग व नाली निर्माण का कार्य शक्तिगढ़– उकरौली में सी0सी0मार्ग / नाली निर्माण कार्य।	3.13	3.75
9.	पशु पालन विभाग	सितारगंज–सितारगंज पशु चि0 में औषधि वितरण नामकमत्ता–पशु चिकित्सालय में औषधि वितरण शक्तिगढ़– पशु चिकित्सालय में औषधि विवरण	1.74	1.57
10.	गन्ना विकास	सितारगंज, नानकमत्ता एवं शक्तिगढ़ क्षेत्र में उन्नतशील बीज उत्पादन, बंजर भूमि उपचार, पेडी प्रबन्धन तथा अर्न्तग्रामीण सड़क निर्माण	0.23	4.87
11.	लोक निर्माण	सितारगंज– थारु, तिसौर, ग्राम में 4 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण	–	47.00
12	पेयजल	सितारगंज– लौका, डोहरा, तिसौना, नथुलिया, पडरी, गौठा में हैंण्डपम्प की स्थापना नानकमत्ता– नानकमत्ता, बिडौरा शक्तिगढ़– अरविन्द नगर, उकरौली	–	3.54
13.	उद्यान विभाग	सितारगंज तथा शक्तिगढ़ क्षेत्र के ग्रामों में उन्नत किस्म पौध रोपण, बेमौसमी सब्जी उत्पादन, पुष्प प्रदर्शन, औद्योनिक विकास का कार्य।	1.09	3.70
14.	जल संस्थान	सितारगंज– करघटिया, मगरसड़ा, नकुलिया ग्रामों में पाइप लाईन विस्तार / मरम्मत, स्टैण्ड पोस्ट एवं पम्पिंग प्लान मरम्मत का कार्य।	–	41.60
15.	ग्रामीण अभियन्त्रण	सितारगंज– लौका में छींदा मोड़ तक सी.सी. मार्ग निर्माण	–	20.82
16.	सहकारिता	सितारगंज– सितारगंज नानकमत्ता, शक्तिगढ़ मे सहकारिता कार्यक्रम	0.11	–

नत्थी "ख"

(देखिए स्थगित अता0प्र0सं0–01 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0 33 पर)

श्रीमती अमृता रावत मा0 सदस्य विधानसभा प्रश्न संख्या–14 का विधानसभा क्षेत्र बीरोंखाल पौड़ी गढ़वाल में अनुसूचित जाति के पुत्रियों की शादी एवं परिजनों की बीमारी उपचार अनुदान वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2009–10 की स्वीकृति सूची एवं अवशेष प्रार्थना पत्रों की सूची।

वर्ष 2008–09 में अनु0जाति की पुत्रियों की शादी के कुल प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची।

क्र.सं.	आवेदक का नाम व पता	विकासखण्ड
1	2	3
1	श्री सुरेन्द्र कुमार पु0स्व0 श्री गोपालसिंह, ग्रा.गुडिण्डा.पो.वीरोखाल	वीरोंखाल
2	श्री मनीराम पु0 चीचीराम,ग्रा.ववासामल्ला,पो,ग्वीन	वीरोंखाल
3	श्री आनन्द पुत्र श्री जगतराम,ग्रा,कमलिया,पो.भगवतीतलिया	वीरोंखाल
4	श्री श्यामलाल, पु, वूथीराम,ग्रा,मेलधार,पो,चौखाल	वीरोंखाल
5	श्री मनोहरलाल,पु.स्व, चिन्तामणी,ग्रा,व पो. कमडई।	वीरोंखाल
6	श्री सुरेन्द्रलाल पु. आशाराम,ग्रा,मासौ,पो,चौखाल	वीरोंखाल
7	श्री भगतराम पु.स्व. घनश्याम, ग्रा भैस्वाडा, पो, पाण्ड।	वीरोंखाल
8	श्री शंकरलाल पु. असीलदास,ग्रा, घोडपालामल्ला, पो,तलाई।	वीरोंखाल
9	श्री रोशनलाल,पु,स्व. श्यामलाल,ग्रा.कोलडीम,पो0 भटवाडों।	वीरोंखाल
10	श्री गोविन्दराम पु. फतेहराम ग्रा. जसपुर,पो0 जसपुरखाल।	वीरोंखाल
11	श्री कुन्दनलाल पु.उदयराम, ग्रा.गडोली, पो. ढौन्ड	वीरोंखाल
12	श्री भुवनेश्वरप्रसाद पु. स्व.बच्चीराम, ग्रा.डुमैला त0 पो. वीरोंखाल	वीरोंखाल
13	श्री भरोषीलाल, पु.स्व. आशाराम, ग्रा. पो. स्यूँसी।	वीरोंखाल
14	श्री सुरेशानन्द पु. स्व. चन्द्रमणी ग्रा. डुमैला पो.वीरोंखाल	वीरोंखाल
15	श्रीमती सुरेशीदेवी पत्नी स्व. धीरजलाल, ग्रा.कोलरी, पो,भटवाडों	वीरोंखाल
16	श्री प्यारेलाल, पु.स्व. चेतनदास, ग्रा.कोठिया, पो. सिरोली।	वीरोंखाल
17	श्री जीवनलाल, पु. पातीराम, ग्रा. पो. गवाणी	पोखड़ा
18	श्री जसपालसिंह पु. कुन्दनसिंह, ग्रा. वोन्दर।	पोखड़ा
19	श्री मंगतराम पु. गमधीरु ग्रा. किमगडी, पो. गवाणी	पोखड़ा
20	श्री रमेशचन्द्र पु. ज्ञानीदास ग्रा. किमगडी, पो गवाणी	पोखड़ा
21	श्री ओमप्रकाश पु. शिवदत्त, ग्रा. ओडगॉव, पो, नौगांवखाल।	पोखड़ा

वर्ष 2008–09 में अनु0जाति की पुत्रियों की शादी के स्वीकृत आवेदन पत्रों की सूची।

क्र.सं	आवेदक का नाम व पता	विकासखण्ड
1	2	3
1	श्री मनीराम पु. चीचीराम, ग्रा. ववासामल्ला, पो. ग्वीन	10,000.00
2	श्री आनन्द पुत्र श्री जगतराम, ग्रा.कमलिया, पो.भगवतीतलिया	10,000.00
3	श्री श्यामलाल, पु. वूथीराम,ग्रा.मेलधार,पो.चौंखाल	10,000.00
4	श्री मनोहरलाल,पु.स्व, चिन्तामणी,ग्रा.व पो. कमडई।	10,000.00
5	श्री मगतराम पु.स्व. घनश्याम, ग्रा भैस्वाडा, पो, पाण्ड।	10,000.00
6	श्री शंकरलाल पु.असीलदास,ग्रा, घोडपालामल्ला, पो,तलाई।	10,000.00
7	श्री रोशनलाल,पु,स्व.श्यामलाल,ग्रा.कोलडीम,पो0 भटवाडों।	10,000.00
8	श्री गोविन्दराम पु.फतेहराम ग्रा. जसपुर,पो0 जसपुरखाल।	10,000.00
9	श्री प्यारेलाल, पु. स्व.चेतनदास, ग्रा, कोठिया पो. सिरोली	10,000.00
10	श्री जीवनलाल,पु. स्व. पातीराम, ग्रा. पो गवाणी।	10,000.00
11	श्री जसपालसिंह पु. कुन्दनसिंह, ग्रा. पो. वोन्दर।	10,000.00
12	श्री मंगतराम पु. गमधीरु ग्रा. किमगडी, पो, गवाणी।	10,000.00
13	श्री रमेशचन्द्र पु. ज्ञानीदास ग्रा. किमगडी, पो. गवाणी।	10,000.00
14	श्री ओमप्रकाश पु. शिवदत्त, ग्रा. ओडगाँव, पो, नौगाँवखाल।	10,000.00

वर्ष 2008–09 में अनु0जाति की पुत्रियों की शादी के अस्वीकृत कुल प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची।

क्र0सं0	आवेदक का नाम व पता	अस्वीकृति का कारण
1	2	3
1.	श्री सुरेन्द्रकुमार पु0 स्व0 श्री गोपालसिंह, ग्रा0 गुडिण्डा, पो0 वीरोंखाल	मासिक आय प्रमाण पत्र न होने के कारण।
2.	श्री सुरेन्द्रलाल पु0 आशाराम, ग्रा.मासौ,पो.चौखाल	लड़के का जन्म तिथि प्रमाण पत्र न होने के कारण।
3.	श्री कुन्दनलाल पु0 उदयराम, ग्रा0 गडोली, पो0 ढौन्ड	मासिक आय अधिक होने के कारण
4.	श्री भुवनेश्वरप्रसाद पु0 स्व0 वच्चीराम, ग्रा0 डुमैला त0 पो0 वीरोंखाल	जाति प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण।

1	2	3
5	श्री भरोषीलाल, पु0 स्व0 आशाराम ग्रा0पो0 स्यूँसी	मासिक आय प्रमाण पत्र न होने के कारण।
6	श्री सुरेशानन्द पु0 स्व0 चन्द्रमणी ग्रा0 डुमैला म0 पो0 वीरोंखाल	लड़के की जन्म तिथि प्रमाण न होने के कारण।
7	श्रीमती सुरेशीदेवी पत्नी स्व0 धीरजलाल ग्रा0 कोलरी, पो0 भटवाडों	आय प्रमाण पत्र एवं लड़के का जन्म तिथि प्रमाण न होने के कारण

वर्ष 2009–10 में अनु0जाति की पुत्रियों की शादी के कुल प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची

क्र.स.	आवेदक का नाम व पता	विकासखण्ड
1	2	3
1	श्री मनोहरलाल, पु0 प्रेमलाल ग्रा0 कदोला, पो0कदोला।	वीरोंखाल
2	श्री महेश्वरसिंह, पु0 वूथीसिंह, ग्रा0 ग्रा0 ढौर, पो0 जाखणी।	वीरोंखाल
3	श्रीमती रामेश्वरी देवी पत्नी श्यामलाल ग्रा0 कमडई, पो0 कमडई।	वीरोंखाल
4	श्रीमती कुंवरीदेवरी पत्नी गुणानन्द, ग्रा0 स्यूँसी, पो0 वुरांसी।	वीरोंखाल
5	श्री सातनदास, पु0 फजीतूदास, ग्रा0 लैंगल, पो0 कस्याणी	वीरोंखाल
6	श्री शिवानन्द पु0 वूथाराम, ग्रा0 लाछी, पो0 लाछी।	वीरोंखाल
7	श्री वेलमूराम पु0 फुन्दूराम, ग्रा0 चौडला, पो0 वीरोंखाल।	वीरोंखाल
8	श्रीमती रामेश्वरीदेवी पत्नी मोहनलाल, ग्रा0 डुमैलात, पो0 वीरोंखाल	वीरोंखाल
9	श्री विनोदकुमार पु0 हंसवाराम ग्रा0 डुमैलात, पो0 वीरोंखाल।	वीरोंखाल

1	2	3
10	श्री रमेशचन्द्र पु. वचियाराम ग्रा. डुमैलात,पो. वीरोंखाल।	वीरोंखाल
11	श्री रामप्रसाद ग्रा0 चोडलिया, पो0 लाछी।	वीरोंखाल
12	श्री दिनेश पु0 रमेश, ग्रा0 कैलाड, पो0 सैंधार।	वीरोंखाल
13	श्री ज्ञानसिंह पु0 वूथासिंह, ग्रा0 व पो0 थकुलसारी।	वीरोंखाल
14	श्री राजेन्द्रप्रसाद पु0 कन्हैयालाल, ग्रा0 व पो0 वंगार	वीरोंखाल
15	श्री सुरेन्द्रलाल, पु0 वच्चूदास, ग्रा0 संगलिया, पो0 थकुलसारी।	वीरोंखाल
16	श्री महेशचन्द्र पु0 खाण्डाराम, ग्रा0 मेलधार पो0 चौखाल।	वीरोंखाल
17	श्री सोहनलाल, पु0 वालकदास, ग्रा0 कडूली पो0 कुडूली।	वीरोंखाल
18	श्रीमती सतेश्वरीदेवी पत्नी सुरेशकुमार, ग्रा0 व पो0 थकुलसारी।	वीरोंखाल
19	श्री कुन्दनलाल, पु0 उदयराम, ग्रा0 गडोली, पो0 ढौण्ड।	वीरोंखाल
20	श्री विहारीलाल पु0 शेखरदास, ग्रा0 नागणी, पो0 नउ।	
21	श्री सुरजीतकुमार पु0 सरदारीलाल, ग्रा0 नाई पो0 वोन्दर	वीरोंखाल
22	श्री रमेशलाल, पु0 सेनीदास ग्रा0 किमगडी, पो0 गवाणी।	पोखड़ा
23	श्री शिवसिंह पु0 वूथासिंह, ग्रा0 व पो0 गवाणी	पोखड़ा

1	2	3
24	श्री जगदीश पु0 विसई ग्रा0 पो0 गवाणी।	पोखड़ा
25	श्री शिवचरण पु. वच्चूदास ग्रा. मालकोट,पो. वोन्दर।	पोखड़ा
26	श्री हरीराम पु0 गव्वूदास, ग्रा0 नाई पो0 वोन्दर	पोखड़ा
27	श्री चेतराम पु0 चामा, ग्रा0 गडरीमल्ली, पो0 दमदेवल।	पोखड़ा
28	श्री आनन्दसिंह पु0 प्रेमलाल ग्रा0 नाई, पो0 वोन्दर	पोखड़ा
29	श्री मोहनलाल पु0 सुन्दरलाल, ग्रा0 धारकींवगडी, पो0 वगडीगाड़।	पोखड़ा
30	श्री गुणानन्द पु0 विन्दीलाल, ग्रा0 धारतोली, पो0 देवराजखाल।	पोखड़ा
31	श्री शिषुपाल पु0 खुशाली, ग्रा0 नाई पो0 वोन्दर।	पोखड़ा
32	उषादेवी पु0 विजयसिंह, ग्रा0 गडोली, पो0 देवराजखाल	पोखड़ा
33	श्री वीरासिंह पु0 गवरसिंह, ग्रा0 मसमोली पो0 पोखडा।	पोखड़ा
34	श्री भारतलाल, पु0 सकरूलाल ग्रा0 कोला पो0 कोलाखाल	पोखड़ा
35	श्री राजेन्द्रलाल, पु0 पातीराम, ग्रा0 सैन्डल, पो0 चमनाउ	पोखड़ा

वर्ष 2009–10 में अनु0जाति की पुत्रियों की शादी के कुल स्वीकृत आवेदन पत्रों की सूची विकासखण्ड– वीरोंखाल।

क्र0सं0	आवेदक का नाम व पता	स्वीकृत अनुदान
1	2	3
1.	श्री महेश्वर सिंह, पु0 वूथीसिंह, ग्रा0 ढौर, पो0 जाखणी।	10,000.00
2.	श्रीमती रामेश्वरी देवी पत्नी श्यामलाल, ग्रा0 कमडई, पो0 कमडई।	10,000.00
3	श्री शिवानन्द पु0 वूथीराम, ग्रा0 लाछी, पो0 लाछी।	10,000.00
4	" वेलनूराम पु0 फुन्दूराम, ग्रा0 चौडला, पो0 कदोला।	10,000.00
5	श्रीमती रामेश्वरीदेवी पत्नी मोहनलाल, ग्रा0 डुमैलात, पो0 वीरोंखाल।	10,000.00
6	श्री विनोदकुमार पु0 हंसवाराम, ग्रा0 डुमैलात, पो0 वीरोंखाल।	10,000.00
7	" रमेशचन्द्र पु0 वचियाराम, ग्रा0 डुमैलात, पो0 वीरोंखाल।	10,000.00
8	" दिनेश पु0 रमेश, ग्रा0 कैलाड, पो0 सैंधार।	10,000.00
9	" ज्ञानसिंह, पु0 वूथासिंह, ग्रा0 व पो0 थकुलसारी।	10,000.00
10	" राजेन्द्र प्रसाद पु0 कन्हैयालाल, ग्रा0 व पो0 वंगार।	10,000.00
11	" महेशचन्द्र पु0 खाण्डाराम, ग्रा0 मेलधार, पो0 चौखाल।	10,000.00
12	" सोहनलाल, पु0 बालकदास, ग्रा0 कडूली पो0 कडूली।	10,000.00
13	श्रीमती सतेश्वरीदेवी पत्नी सुरेश कुमार, ग्रा0 व पो0 थकुलसारी।	10,000.00
14	श्री विहारीलाल पु0 शेखरदास, ग्रा0 नागणी, पो0 नउ।	10,000.00
15	" सुरजीतकुमार पु0 सरदारीलाल, ग्रा0 नाई पो0 वोन्दर।	10,000.00
16	श्री रमेशलाल पु0 सेतीदास ग्रा0 किमगड़ी पो0 गवाणी	10,000.00
17	" शिवसिंह पु0 वूथासिंह, ग्रा0 व पो0 गवाणी।	10,000.00

1	2	3
18	श्री जगदीश पु0 विंसई ग्रा0 पो0 गवाणी।	10,000.00
19	" शिवचरण पु0 वच्चूदास, ग्रा0 मालकोट, पो0 वोन्दर	10,000.00
20	" हरीराम पु. गब्बूदास, ग्रा0 नाई पो0 वोन्दर	10,000.00
21	" चेतराम पु0 वामा, ग्रा0 गडरीमल्ली, पो0 दमदेवल	10,000.00
22	" आनन्दसिंह पु0 प्रेमलाल, ग्रा0 नाई, पो0 वोन्दर	10,000.00
23	" मोहनलाल, पु0 सुन्दरलाल, ग्रा0 धारकीवगड़ी, पो0 वगडीगाड	10,000,00
24	" गुणानन्द पु0 विन्दीलाल, ग्रा0 धारतोली, पो0 देवराज, खाल	10,000.00
25	" शिषुपाल पु0 खुशाली, ग्रा0 नाई, पो0 वोन्दर	10,000.00
26	" उषादेवी पु0 विजयसिंह, ग्रा0 गडोली, पो0 देवराजखाल	10,000.00
27	" भारतलाल, पु0 सकरूलाल, ग्रा0 कोला, पो0 कोलाखाल	10,000.00
28	" राजेन्द्रलाल, पु0 पातीराम, ग्रा0 सैन्डल, पो0 चमनाउ।	10,000.00

वर्ष 2009–10 में अनु0जाति की पुत्रियों की शादी के अस्वीकृत कुल प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची विकासखण्ड।

क्र.स	आवेदक का नाम पता	अस्वीकृति का कारण्रा
1	2	3
1	श्री मनोहरलाल, पु0 प्रेमलाल ग्रा0 कदोला, पो0 कदोला।	लड़के का जन्मतिथि प्रमाण पत्र न होने के कारण।
2	श्रीमती कुंवरीदेवी पत्नी गुणानन्द, ग्रा0 स्यूंसी, पो0 वुरांसी।	मासिक आय अधिक होने के कारण।
3	श्री सातनदास, पु0 फजीतूदास, ग्रा0 लैंगल, पो0 कस्याणी।	लड़का अवयस्क होने का कारण
4	" रामप्रसाद ग्रा0 चौडलिया, पो0 लाछी।	मासिक आय प्रमाण पत्र न होने के कारण
5	" सुरेन्द्रलाल, पु0 वच्चूदास, ग्रा0 संगलिया, पो0 थुकुलसारी।	मासिक आय प्रमाण पत्र न होने के कारण
6	" कुन्दनलाल, पु0 उदयराम, ग्रा0 गंडोली, पो0 ढौण्ड।	मासिक आय प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण।
7	" वीरासिंह पु0 गवरसिंह, ग्रा0 मसमोली, पो0 पोखड़ा।	मासिक आय न होने के कारण

वर्ष 2009–10 में अनु0जाति के परिजनों के उपचार के कुल प्राप्त आवेदन पत्रों/स्वीकृति की सूची।

क्र.स.	आवेदक का नाम पता	अनुदान
1	2	3
1	श्रीमती विपतादेवी, पत्नी राकेशमोहन, ग्रा. वमराडी, पो. जोगीमढी।	2,000,00

नत्थी "ग"

(देखिए स्थगित अता0 प्र0सं0–2 का पीछे पृष्ठ सं0 34 पर)

विधान सभावार कुल आबंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं अवशेष का संक्षिप्त विवरण।

क्र.सं.	विधान सभा का नाम	वित्तीय वर्ष 2007–08			वित्तीय वर्ष 2008–09			वित्तीय वर्ष 2009–10		
		आबंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	आबंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	आबंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	धुमाकोट	297.49	279.30	18.19	418.64	407.69	10.95	356.36	254.85	101.51
2	यमकेश्वर	190.25	185.34	4.91	164.10	142.81	21.29	265.36	126.53	138.83
3	बीरोंखाल	209.41	192.85	16.56	186.93	177.19	9.74	115.98	57.79	58.19
4	कोटद्वार	141.59	136.54	11.05	147.75	135.35	12.40	47.92	38.39	9.53
5	थलीसैंण	284.25	271.19	13.06	240.10	229.55	10.55	139.65	94.68	44.97
6	पौड़ी	274.94	263.14	11.80	298.83	286.05	12.78	182.38	139.00	48.38
7	श्रीनगर	762.29	740.48	21.81	723.68	680.16	43.52	485.22	406.76	78.46
8	लैन्सडाउन	293.16	273.41	19.75	247.02	228.33	18.69	139.51	108.26	31.25
	योग	2459.38	2342.25	117.13	2427.05	2287.13	139.92	1732.38	1221.26	511.12

वित्तीय वर्ष 2007–08, वर्ष 2008–09 तथा वित्तीय वर्ष 2009–10 में अनुसूचित जाति उपयोजना मद के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल को आबंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय/अवशेष धनराशि एवं स्वीकृत/निर्मित योजनाओं को विधान सभावार/विभागवार विवरण

(धनराशि रू. लाख में)

क्र. सं.	विधान सभा का नाम	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2007–08			वित्तीय वर्ष 2008–09			वित्तीय वर्ष 2009–10		
			आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	घुमाकोट	समाज कल्याण	65.57	51.28	14.29	0	0	0	9.64	3.52	6.12
		मुख्य चिकित्साधिकारी	9.13	9.13	0	0	0	0	0	0	0
		ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		जल संस्थान विभाग	3.00	2.79	0.21	10.10	6.23	3.87	0	0	0
		जिला शिक्षा अधिकारी	0	0	0	63.07	63.07	0	0	0	0
		जिला विकास अधिकारी	30.38	26.69	3.69	33.49	28.54	4.95	9.45	7.09	2.36
		विद्युत विभाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		जिला पर्यटन विकास	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डेरी विकास विभाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		खेल विभाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		लोक निर्माण विभाग	161.00	161.00	0	278.88	278.88	0	323.00	236.73	86.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		वन विभाग	1.75	1.75	0	5.82	5.82	0	0	0	0
		मत्स्य विभाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		पंचायत राज विभाग	4.39	4.39	0	8.48	6.35	2.13	5.01	0	5.01
		युवा कल्याण विभाग	0.60	0.60	0	1.95	1.95	0	0.41	0.41	0
		उद्यान विभाग	0.50	0.50	0	1.00	1.00	0	1.69	1.69	0
		ग्राम्य विकास अभिकरण	17.17	17.17	0	12.70	12.70	0	4.66	4.66	0
		कृषि विभाग	4.00	4.00	0	3.15	3.15	0	2.50	0.75	1.75
		योग	297.49	279.30	18.19	418.64	407.69	10.95	356.36	254.85	101.51

(रू. लाख में)

क्र. सं.	विधान सभा का नाम	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2007–08			वित्तीय वर्ष 2008–09			वित्तीय वर्ष 2009–10		
			आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	यमकेश्वर	समाज कल्याण	7.84	6.13	1.71	0	0	0	6.79	2.48	4.31
		मुख्य चिकित्साधिकारी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	0	0	0	10.82	0	10.82	0	0	0
		जल संस्थान विभाग	7.50	7.44	0.06	0	0	0	0	0	0
		जिला शिक्षा अधिकारी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		जिला विकास अधिकारी	25.68	22.54	3.14	32.39	24.74	7.65	12.50	9.39	3.11
		विद्युत विभाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		जिला पर्यटन विकास	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डेरी विकास विभाग	0.68	0.68	0	0.25	0.25	0	0.13	0.07	.06
		खेल विभाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		लोक निर्माण विभाग	119.00	119.00	0	81.71	81.71	0	226.00	100.76	125.24
		वन विभाग	0	0	0	7.16	7.16	0	5.30	5.30	0
		मत्स्य विभाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		पंचायत राज विभाग	3.76	3.76	0	10.17	7.35	2.82	4.52	0	4.52
		युवा कल्याण विभाग	0.42	0.42	0	1.95	1.95	0	0.41	0.41	0
		उद्यान विभाग	0.55	0.55	0	1.00	1.00	0	1.50	1.50	0
		ग्राम्य विकास अभिकरण	19.82	19.82	0	14.65	14.65	0	5.37	5.37	0
		कृषि विभाग	5.00	5.00	0	4.00	4.00	0	2.84	1.25	1.59
		योग	190.25	185.34	4.91	164.10	142.81	21.29	265.36	126.53	138.83

(रू. लाख में)

क्र. सं.	विधान सभा का नाम	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2007–08			वित्तीय वर्ष 2008–09			वित्तीय वर्ष 2009–10		
			आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	बीरोंखाल	समाज कल्याण	53.90	42.15	11.75	0	0	0	33.72	12.32	21.40
		मुख्य चिकित्साधिकारी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		जल संस्थान विभाग	6.15	5.95	0.20	10.96	10.96	0	0	0	0
		जिला शिक्षा अधिकारी	46.78	46.78	0	90.00	90.00	0	0	0	0
		जिला विकास विभाग	33.11	28.50	4.61	32.94	26.05	6.89	18.60	13.96	4.64
		विद्युत विभाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		जिला पर्यटन विकास	0	0	0	1.29	1.29	0	0	0	0
		डेरी विकास विभाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		खेल विभाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		लोक निर्माण विभाग	46.84	46.84	0	26.13	26.13	0	52.06	26.18	25.88
		वन विभाग	1.99	1.99	0	3.50	3.50	0	0	0	0
		मत्स्य विभाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		पंचायत राज विभाग	4.97	4.97	0	8.85	6.00	2.85	4.52	0	4.52
		युवा कल्याण विभाग	0.30	0.30	0	1.95	1.95	0	0.41	0.41	0
		उद्यान विभाग	0.80	0.80	0	1.00	1.00	0	1.30	1.30	0
		ग्राम्य विकास अभिकरण	10.57	10.57	0	7.81	7.81	0	2.87	2.87	0
		कृषि विभाग	4.00	4.00	0	2.50	2.50	0	2.50	0.75	1.75
		योग	209.41	192.85	16.56	186.93	177.19	9.74	115.98	57.79	58.19

(रू. लाख मे)

क्र. सं.	विधान सभा का नाम	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2007–08			वित्तीय वर्ष 2008–09			वित्तीय वर्ष 2009–10		
			आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	कोटद्वार	समाज कल्याण	16.99	13.29	3.70	0	0	0	4.79	1.75	3.04
		मुख्य चिकित्साधिकारी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		जल संस्थान विभाग	5.00	4.15	0.85	5.96	4.04	0	0	0	0
		जिला शिक्षा अधिकारी	31.85	31.85	0	50.00	50.00	0	0	0	0
		जिला विकास विभाग	40.35	33.85	6.50	48.19	39.51	3.68	9.23	6.99	2.24
		विद्युत विभाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		जिला पर्यटन विकास	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डेरी विकास विभाग	2.34	2.34	0	0.70	0.70	0	0.56	0.27	0.30
		खेल विभाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		लोक निर्माण विभाग	18.00	18.00	0	11.37	11.37	0	16.00	15.79	0.21
		वन विभाग	4.82	4.82	0	6.03	6.03	0	5.43	5.43	0
		मत्स्य विभाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		पंचायत राज विभाग	2.91	2.91	0	6.60	4.80	1.80	2.00	0	2.00
		युवा कल्याण विभाग	0.18	0.18	0	0.98	0.98	0	0.20	0.20	0
		उद्यान विभाग	0.66	0.66	0	1.10	1.10	0	1.70	1.70	0
		ग्राम्य विकास अभिकरण	18.49	18.49	0	13.67	13.67	0	5.01	5.01	0
		कृषि विभाग	6.00	6.00	0	3.15	3.15	0	3.00	1.25	1.75
		योग	147.59	136.54	11.05	147.75	135.35	12.40	47.92	38.39	9.53

(रू. लाख में)

क्र. सं.	विधान सभा का नाम	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2007–08			वित्तीय वर्ष 2008–09			वित्तीय वर्ष 2009–10		
			आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	थलीसैंण	समाज कल्याण	37.62	29.42	8.20	0	0	0	32.84	12.00	20.84
		मुख्य चिकित्साधिकारी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		जल संस्थान विभाग	5.35	3.08	2.27	0	0	0	0	0	0
		जिला शिक्षा अधिकारी	43.73	43.73	0	30.00	30.00	0	0	0	0
		जिला विकास विभाग	44.78	42.19	2.59	31.14	24.03	7.11	12.25	9.19	3.06
		विद्युत विभाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		जिला पर्यटन विकास	0	0	0	5.00	5.00	0	4.47	0	4047
		डेरी विकास विभाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		खेल विभाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		लोक निर्माण विभाग	107.52	107.52	0	122.32	122.32	0	73.00	62.66	10.34
		वन विभाग	8.59	8.59	0	10.44	10.44	0	0	0	0
		मत्स्य विभाग	0.18	0.18	0	0.72	0.72	0	0	0	0
		पंचायत राज विभाग	5.51	5.51	0	15.69	12.25	3.44	5.01	0	5.01
		युवा कल्याण विभाग	0.54	0.54	0	1.95	1.95	0	0.41	0.41	0
		उद्यान विभाग	0.67	0.67	0	1.30	1.30	0	2.67	2.67	0
		ग्राम्य विकास अभिकरण	25.76	25.76	0	19.04	19.04	0	7.00	7.00	0
		कृषि विभाग	4.00	4.00	0	2.50	2.50	0	2.00	0.75	1.25
		योग	284.25	271.19	13.06	240.10	229.55	10.55	139.65	94.68	44.97

(रू. लाख में)

क्र. सं.	विधान सभा का नाम	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2007–08			वित्तीय वर्ष 2008–09			वित्तीय वर्ष 2009–10		
			आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	पौड़ी	समाज कल्याण	41.43	32.40	9.03	0	0	0	29.29	10.70	18.59
		मुख्य चिकित्साधिकारी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	3.66	3.66	0	0	0	0	0	0	0
		जल संस्थान विभाग	10.75	10.73	0.02	11.38	10.92	0.46	0	0	0
		जिला शिक्षा अधिकारी	32.92	32.92	0	35.36	35.36	0	0	0	0
		जिला विकास अधिकारी	26.78	26.78	0.05	35.61	29.81	5.80	34.50	26.27	8.23
		विद्युत विभाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		जिला पर्यटन विकास	8.36	6.11	2.25	3.76	0.83	2.93	0	0	0
		डेरी विकास विभाग	1.10	1.10	0	0.36	0.36	0	0.30	0.14	0.16
		खेल विभाग	0.50	0.50	0	0.60	0.59	0.01	0.74	0.32	0.42
		लोक निर्माण विभाग	107.63	107.63	0	167.16	167.16	0	101.60	87.84	13.76
		वन विभाग	8.22	8.22	0	9.94	9.94	0	0	0	0
		मत्स्य विभाग	0.36	0.36	0	0.54	0.54	0	0	0	0
		पंचायत राज विभाग	6.50	6.50	0	12.63	9.05	3.58	6.01	0	6.01
		युवा कल्याण विभाग	0.84	0.84	0	1.95	1.95	0	0.40	0.40	0
		उद्यान विभाग	0.76	0.76	0	1.40	1.40	0	1.80	1.80	0
		ग्राम्य विकास अभिकरण	21.13	21.13	0	15.64	15.64	0	5.74	5.74	0
		कृषि विभाग	4.00	4.00	0	2.50	2.50	0	2.00	0.79	1.21
		योग	274.94	263.14	11.80	298.83	286.05	12.78	182.38	134.00	48.38

(रू. लाख में)

क्र. सं.	विधान सभा का नाम	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2007–08			वित्तीय वर्ष 2008–09			वित्तीय वर्ष 2009–10		
			आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	श्रीनगर	समाज कल्याण	78.23	61.17	17.06	0	0	0	9.83	3.59	6.24
		मुख्य चिकित्साधिकारी	8.70	5.50	3.20	0	0	0	0	0	0
		ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		जल संस्थान विभाग	5.25	4.88	0.37	9.31	9.31	0	0	0	0
		जिला शिक्षा अधिकारी	42.04	42.04	0	51.78	51.78	0	0	0	0
		जिला विकास अधिकारी	32.38	31.41	0.97	31.28	30.56	0.72	4.00	3.00	1.00
		विद्युत विभाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		जिला पर्यटन विकास	1.51	1.30	0.21	50.75	10.00	40.75	0	0	0
		डेरी विकास विभाग	1.15	1.15	0	0.39	0.39	0	0.39	0.18	0.21
		खेल विभाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		लोक निर्माण विभाग	566.97	566.97	0	550.94	550.94	0	459.50	393.70	65.80
		वन विभाग	4.11	4.11	0	5.22	5.22	0	0	0	0
		मत्स्य विभाग	0	0	0	0.18	0.18	0	0	0	0
		पंचायत राज विभाग	4.10	4.10	0	8.65	6.60	2.05	4.01	0	4.01
		युवा कल्याण विभाग	0.66	0.66	0	1.95	1.95	0	0.40	0.40	0
		उद्यान विभाग	0.65	0.65	0	1.00	1.00	0	1.69	1.69	0
		ग्राम्य विकास अभिकरण	12.54	12.54	0	89.27	9.27	0	3.40	3.40	0
		कृषि विभाग	4.00	4.00	0	2.96	2.96	0	2.00	0.80	1.20
		योग	762.29	740.48	21.81	723.68	680.16	43.52	485.22	406.76	78.46

(रू. लाख में)

क्र. सं.	विधान सभा का नाम	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2007–08			वित्तीय वर्ष 2008–09			वित्तीय वर्ष 2009–10		
			आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	लैंन्सडाउन	समाज कल्याण	52.39	40.97	11.42	0	0	0	13.69	5.00	8.69
		मुख्य चिकित्साधिकारी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	0	0	0	4.94	0	4.94	0	0	0
		जल संस्थान विभाग	7.00	2.16	4.84	14.29	13.12	1.17	0	0	0
		जिला शिक्षा अधिकारी	0	0	0	62.48	62.48	0	0	0	0
		जिला विकास अधिकारी	33.08	29.59	3.49	44.74	34.14	10.60	23.85	17.84	6.01
		विद्युत विभाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		जिला पर्यटन विकास	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डेरी विकास विभाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		खेल विभाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		लोक निर्माण विभाग	178.64	178.64	0	94.65	94.65	0	87.44	76.15	11.29
		वन विभाग	6.18	6.18	0	6.83	6.83	0	4.63	4.63	0
		मत्स्य विभाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		पंचायत राज विभाग	3.50	3.50	0	8.83	6.85	1.98	4.01	0	4.01
		युवा कल्याण विभाग	0.40	0.40	0	1.95	1.95	0	0.40	0.40	0
		उद्यान विभाग	0.76	0.76	0	0.28	0.28	0	1.20	1.20	0
		ग्राम्य विकास अभिकरण	6.60	6.60	0	4.88	4.88	0	1.79	1.79	0
		कृषि विभाग	4.61	4.61	0	3.15	3.15	0	2.50	1.25	1.25
		योग	293.16	273.41	19.75	247.02	228.33	18.69	139.51	108.26	31.25
		महायोग 1 से 8 तक	2459.38	2342.25	117.13	2427.05	2287.13	139.92	1732.38	1221.26	511.12

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 17 विधान सभा / 358–26–7–2013–200 (कम्प्यूटर / रीजियो)